

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2016—आषाढ 31, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जून 2016

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-951-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस., उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 17 जून 2016 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई-5-947-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 27 जून से 15 जुलाई 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2016 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. ई-1-227-2016-5-एक.—श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे (1982), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़

जनजाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार श्री मनोहर अगनानी, भाप्रसे (1993), आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग को आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री अरूण तिवारी, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को आगामी आदेश तक, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-306-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव, वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रभांशु कमल (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल

क्र. ई.-5-609-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2016 द्वारा दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 31 मई से 10 जून 2016 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत.

क्र. ई.-5-771-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएएस., संचालक, तत्कालीन संचालक, बजट एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 13 अप्रैल 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

- दिनांक 20 से 21 जून 2016 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
- दिनांक 27 जून 2016, एक दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.

3. दिनांक 2 जुलाई 2016, एक दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
4. दिनांक 23 जुलाई 2016, एक दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. ई-5-922-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय कट्टेसरिया, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2016 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 18 अप्रैल 2016 से 2 मई 2016 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-1-464-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2016-एआईएस (I)-बी, दिनांक 1 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाए गए संवर्ग के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 1 जुलाई 2016 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर घोषित किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रमेश भण्डारी	उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
2	श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3	श्रीमती भावना वालिम्बे	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन एवं पर्यटन विभाग

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2016-एआईएस (I)-बी, दिनांक 1 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाए गए संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 1 जुलाई 2016 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. ई-5-862-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सिबि चक्रवर्ती एम., आयएस., कलेक्टर नरसिंहपुर को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 3 जुलाई 2016 एवं 9, 10 जुलाई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सिबि चक्रवर्ती एम., की अवकाश अवधि में सुश्री प्रतिभा पाल, भाप्रसे अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुकाअ, जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम., को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सिबि चक्रवर्ती एम., द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री प्रतिभा पाल कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री सिबि चक्रवर्ती एम., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबि चक्रवर्ती एम., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

खाना (4) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला	संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
2	श्री मनोज खत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3	श्री गोपाल चन्द्र डाड	अपर मेला अधिकारी, सिंहस्थ, उज्जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
4	श्री दिलीप कुमार	अपर कलेक्टर, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
5	श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला	अपर संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
6	श्री आलोक कुमार सिंह	क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. ई.-5-801-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 21 जनवरी 2016, 4 फरवरी 2016, 5 फरवरी 2016, 6 फरवरी 2016, 8 मार्च 2016, 9 मार्च 2016, 10 मार्च 2016 एवं 21 मार्च 2016 कुल, आठ दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त तिथियों का अर्जित अवकाश कार्यांतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-887-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा दिनांक 13 से 25 जून 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 11, 12 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई.-5-963-आयएस-लीव-5-एक.—(1) कु. रजनी सिंह, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी बीना, जिला सागर को दिनांक 15 फरवरी से 11 मार्च 2016 तक, छब्बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में 12 से 22 मार्च 2016 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 23 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्यांतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में कु. रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि कु. रजनी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-966-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सतीश कुमार एस., आयएस., अनुविभागीय अधिकारी केवलारी जिला सिवनी को दिनांक 7 से 15 जुलाई 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 6 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार एस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी केवलारी जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. 5-989-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सक्सेना, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष-सक्सेना-को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 द्वारा दिनांक 1 से 5 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9, 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह भा.प्र.से. उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2016

क्र. ई-5-577-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 8 से 15 जुलाई 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार व्ही. के बाथम, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. के. बाथम उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र. ई-5-477-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, (1985) विकअ-सह-विकास आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जल संसाधन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2016 द्वारा दिनांक 13 जुलाई से 3 अगस्त 2016 तक, बाईस दिन का एकस-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री जुलानिया की अवकाश अवधि में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण को तथा जल संसाधन विभाग का प्रभार श्री अशोक वर्णवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-501-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 25 से 16 मई 2016 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 से 22 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-868-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 3 अप्रैल से 8 जुलाई 2016 तक, सनतानवें दिन के स्वीकृत Leave Not Due के अनुक्रम में दिनांक 9 जुलाई से 30 नवम्बर 2016 तक, एक सौ पैंतालीस दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-955-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग (तत्कालीन उपसचिव, मंत्रालय) को दिनांक 7 जून से 14 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. ई-5-577-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएस., कलेक्टर, जिला डिण्डोरी को दिनांक 12 से 21 जुलाई 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अमित तोमर की अवकाश अवधि में श्री रोहित सिंह, भाप्रसे, अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला डिण्डोरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डोरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित तोमर द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डोरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रोहित सिंह कलेक्टर, डिण्डोरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-996-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी.एस. कुलेश, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 11 से 20 जुलाई 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. कुलेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी.एस. कुलेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी.एस. कुलेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव।

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. एफ 5-17-2015-बी-3-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वित्तीय अधिकार की पुस्तिका-2012 के भाग 1 के सरल क्रमांक 1.1 में निहित प्रावधान अनुसार क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक रीवा, बालाघाट, शहडोल, चम्बल-मुरैना होशंगाबाद, उज्जैन एवं सागर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है।

2. उक्त सहमति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 23 मई 2016 तथा वित्त विभाग के जावक क्रमांक 818-1004-16-वित्त-नियम-चार, दिनांक 22 जून 2016 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्र. एफ 1(ए)61-2009-ब-2-दो.—श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से, पुलिस उप महानिरीक्षक (पी.टी.आर.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 15 जुलाई 2016 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संतोष कोरी, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पी.टी.आर.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा. पु. से., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2016

फा. क्र.1-अ-1-15-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई 2015 के अनुक्रम में श्री अरविन्द दूदावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में 7 से 31 जुलाई 2016 तक पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन वृद्धि करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-2463.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रेम नारायण सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद को (नवीन पदस्थापना) पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय के पद पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है।

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2016

फा. क्र. 2485-इक्कीस-ब(दो)2016.—राज्य शासन, श्री सुधीर सिंह राठौर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 रीवा को आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में उप सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2016

फा. क्र. 1(बी)-22-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना, अधिवक्ता, राजगढ़ को राजगढ़ सत्र खण्ड राजस्व जिले हेतु अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. एफ ए 6-17-2015-1-पाँच.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ए. के. मिश्रा, सेवानिवृत्त संचालक, वाणिज्यिक कर को मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 में निहित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में लेखा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की पदावधि अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिये नियुक्त किया जाता है। श्री मिश्रा का मुख्यालय, इन्दौर नियत किया जाता है।

2. श्री ए. के. मिश्रा, सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4(6) में किए गए प्रावधान अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे। अर्थात् श्री मिश्रा सदस्य रूप में सचिव को देय मासिक वेतन एवं भत्ते आहरित करेंगे, जिसमें से उन्हें दी जा रही मासिक पेंशन कम कर दी जाएगी।

क्र. एफ ए 6-17-2015-1-पाँच.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 में निहित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में श्री राघवेन्द्र दुबे, से. नि. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अतिरिक्त लेखा सदस्य के पद पर तथा मान. उच्च न्यायालय से प्राप्त पैनेल में से श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को अपील बोर्ड

में अतिरिक्त न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राघवेन्द्र दुबे, अतिरिक्त लेखा सदस्य एवं श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त न्यायिक सदस्य का मुख्यालय इंदौर नियत किया जाता है।

3. श्री राघवेन्द्र दुबे, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4(6) तथा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4(5) में निहित प्रावधान अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. एफ ए 6-17-2015-1-पाँच.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 6-17-2015-1-पाँच, दिनांक 25 जून 2016 द्वारा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना को म. प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में अतिरिक्त न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 31 मार्च 2018 तक के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाकर श्री पाण्डेय का मुख्यालय इंदौर नियत किया गया था।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त न्यायिक सदस्य का मुख्यालय इन्दौर के स्थान पर भोपाल निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव।

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. एफ-11-24-2016-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्थ्रोपॉलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	सागर	मालथौन	मालथौन	प्राचीन किला	ख. नं. 351	2.07 हे. आबादी में स्थित है.	शासकीय	हाँ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

क्र. एफ 1-2-2012-छप्पन.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा जारी की गई प्रदेश की मध्यप्रदेश बीपीओ/बीपीएम उद्योग निवेश नीति 2014 के हिन्दी अनुवाद में उल्लेखित उपलब्ध छूट/प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान कि कंडिका क्रमांक (5) स्टाम्प शुल्क रियायतें-ख-को राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 से जारी अंग्रेजी अनुवाद (जिसे मंत्रि परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु रखी गई संक्षेपिका के साथ प्रस्तुत किया गया था) के समान करने हेतु उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

ख. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र द्वारा या कि ओर निष्पादित पट्टे/विक्रय के ऐसे दस्तावेजों जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/परिसर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की नई इकाई के पक्ष में अंतरित की जाती है, पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी कि ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो.

क्र. एफ 1-2-2012-छप्पन.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा जारी की गई प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 (संशोधित 2014) के हिन्दी अनुवाद में उल्लेखित उपलब्ध छूट/प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान कि कंडिका क्रमांक (5) स्टाम्प शुल्क रियायतें-ख-को राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 से जारी अंग्रेजी

अनुवाद (जिसे मंत्रि परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु रखी गई संक्षेपिका के साथ प्रस्तुत किया गया था) के समान करने हेतु उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

ख. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र द्वारा या कि ओर निष्पादित पट्टे/विक्रय के ऐसे दस्तावेजों जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/परिसर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की नई इकाई के पक्ष में अंतरित की जाती है, पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी कि ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रेखर वालिम्बे, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. एफ 74-4-1999-बीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा केम्ब्रिज स्कूल भोपाल की प्रबंध मंडल की नियमावली 3 में दिये गये प्रावधानों के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4-1999-बीस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2012 के द्वारा नामांकित किये गये अशासकीय सदस्यों का नामांकन निरस्त करते हुए निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :—

1. सदस्य

- 3(ए) 1. श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल, महामंत्री, भाजपा भोपाल, निवास 2/13, सौरभ कालोनी, चाँदबड़, भोपाल, म. प्र.

2. श्री गोपाल तिवारी, मण्डल अध्यक्ष, बसस्टेण्ड भाजपा, भोपाल
निवास 142, मेनरोड, इब्राहिमगंज, भोपाल.

3. श्री नंद किशोर राठौर, उपाध्यक्ष, भाजपा भोपाल, निवास 87,
पटेल नगर, भारत टाकीज के पास, भोपाल.

2. शासकीय एवं पदेन सदस्य

3(बी) 4. प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा
विभाग.

3(सी) 5. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल म. प्र.

3(डी) 6. प्राचार्य केम्ब्रिज स्कूल भोपाल यथावत् रहेंगे.

3. दानदाता सदस्य

3(ई) 7. श्री अनिल अजमेरा, सामाजिक कार्यकर्ता, निवास
एस-2, रामेश्वर अपार्टमेंट, लालघाटी भोपाल.

8. श्री ललित तांतेड, सामाजिक कार्यकर्ता, निवास ए-25,
विजयनगर, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल.

4. विधायकगण

3(एफ) 9. श्री उमाशंकर गुप्ता, मान. विधायक, भोपाल
निवास-ई-22-45 बंगले, भोपाल.

10. श्री विष्णु खत्री, मान. विधायक, बैरसिया भोपाल
निवास मुंशी प्रेमचन्द्र परिसर, बीडीए कालोनी,
एयरपोर्ट रोड, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. एफ 06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894
की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,
राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीलम पार्क एवं यादगार-ए-शांहजानी पार्क,
भोपाल को दिनांक 18-7-2016 से दिनांक 29-7-2016 तक के
लिये अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. एफ 9-1-2016-पचास-1.—मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग
अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा
(2) (क) सहपठित धारा 4 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती गंगा
उईके, पत्नि स्व. श्री सज्जन सिंह, निवासी ग्राम भौरा, तह. शाहपुर,
जिला बैतूल को आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

2. श्रीमती उईके का मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्य
के रूप में कार्यकाल, इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो
वर्ष की कालावधि या वर्तमान आयोग का कार्यकाल की अवधि तक
जो भी पहले हो, तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 122.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अंतर्गत
राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का
नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर

(1)			(2)			
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ढनगन	06	342.824	1	भटठा टोला	06

क्र. 123.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया, जिला रीवा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बरौ	22	730.268	1	चन्द्रपुर	22

क्र. 124.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	करह	41	717.052	1	खैरागढ़	41

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 8 जुलाई 2016

प्रारंभिक सूचना

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2043-रीडर-2016-प्र.क्र. 16-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम नीमथूर, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति

अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—नीमथूर, क्षेत्रफल रकबा 1.399 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नीमथूर	1.399	0.000	1.399
योग . .		1.399	0.000	1.399

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बालाराम धापूबाई पिता धन्नालाल सुन्दरबाई बैवा धन्नालाल जाति अहीर.	610/1	1.693	0.161	0.000	0.161
2	भुवानीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता निमथूर.	610/2	1.693	0.252	0.000	0.252
3	दीनचंद पिता कंवरलाल जाति महाजन पता निमथूर.	613	0.889	0.040	0.000	0.040
4	प्रेमबाई पति रमेशचंद जाति कुल्मी पता बोर्दा.	612	0.889	0.032	0.000	0.032
5	बापूलाल पिता चुन्नीलाल जाति अहीर पता निमथूर.	616/1/1	0.592	0.060	0.000	0.060
6	संतोषकुमार, सुरेशकुमार, प्रमोदकुमार कमल कुमार, किर्तीकुमार पिता देवीदास जाति बैरागी पता निमथूर.	617	1.212	0.368	0.000	0.368
7	रामकिशन पिता चर्तुभूज जाति अहीर पता निमथूर.	620	2.039	0.275	0.000	0.275
8	देवीलाल पिता माधूलाल जाति माली पता निमथूर.	621/1	1.045	0.135	0.000	0.135
9	गोपाल बालाराम पिता कारू जाति गुजर पता निमथूर.	621/2	1.045	0.032	0.000	0.032
10	रूकमणी बाई बैवा रामगोपाल जाति कुल्मी पता बोर्दा.	622	4.098	0.044	0.000	0.044
कुल रकबा . .			15.59	1.399	0.000	1.399

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2049-रीडर-2016-प्र.क्र. 17-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम रतनपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—रतनपुरा, क्षेत्रफल रकबा 0.200 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रतनपुरा	0.200	0.000	0.200
योग . .		0.200	0.000	0.200

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दुर्गा बाई बैवा कारुलाल ललीता बाई अंगूरी बाई, झम्पू बाई, संजा बाई, लक्ष्मीबाई पिता कारुलाल जाति मीना निवासी पता धनकपुरा भूस्वामी.	793/6	1.254	0.200	0.000	0.200
योग . .			1.254	0.200	0.000	0.200

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2053-रीडर-2016-प्र.क्र. 18-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम ढाबला माधौसिंह, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप “ख” में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—ढाबला माधौसिंह, क्षेत्रफल रकबा 3.270 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ढाबला माधौसिंह	3.270	0.000	3.270
योग . .		3.270	0.000	3.270

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नूरमोहम्मद गनी मोहम्मद चांद मोहम्मद अब्बदुल रहमान करिम मोहम्मद गफुर मोहम्मद पिता हुसैन जाति मुसलमान निवासी पता सानडा भूमिस्वामी.	611	4.047	0.380	-	0.380
2	प्रभु पिता किशन जाति धाकड पता निवासी ढाबला भूमिस्वामी.	631 635/मिन 1	1.716 2.485	0.176 0.266	-	0.176 0.266
3	ज्ञानकुंवर पति सुरेन्द्रसिंह शक्तावत जाति राजपूत पता हाल मुकाम आर.टी.एम. के पास शिवपुरा कोटा राजस्थान भूमिस्वामी.	671/मिन 1	2.803	0.094	-	0.094
4	शिवराजसिंह पिता अमरसिंह बृजकुंवर बैवा दिलीप सिंह जाति राजपूत पता निवासी ढाबला भूमिस्वामी.	670/मिन 1	2.962	0.416	-	0.416

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	श्रीराम शौभाराम पिता देवीलाल व देरूबाई बैवा देवीलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमिस्वामी.	669	0.607	0.176	-	0.176
6	राजेश कुमार पिता श्रीराम जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमिस्वामी.	668	0.922	0.042	-	0.042
7	रामलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	661/2	1.411	0.387	-	0.387
8	शारदा बाई पति जीतमल जाति धाकड़ पता निवासी रामगंजमण्डी राजस्थान भूमिस्वामी.	661/1	2.822	0.032	-	0.032
9	जीनमल राधेश्याम गोपाल पिता गोपीलाल जाति धाकड़ पता निवासी मदनपुरा राजस्थान भूमिस्वामी.	659	3.577	0.262	-	0.262
10	शिवलाल पिता काशीराम जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम हाल मुकाम बीडगांव भूमिस्वामी.	658/1	0.509	0.118	-	0.118
11	रामेश्वर पिता काशीराम जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम हाल मुकाम बीडगांव भूमिस्वामी.	657/2 658/2	0.330 1.346	0.102 0.198	-	0.102 0.198
12	नन्दलाल गौपीलाल सुखाबाई कमला बाई पिता लक्ष्मण देवु बाई बैवा लक्ष्मण जाति बलाई निवासी ग्राम ढाबला भूमिस्वामी.	737	0.655	0.144	-	0.144
13	वन्दना पति उमेन्द्र जाति सिधी पता निवासी कैथूली मजरा गुलाबनगर भूमि स्वामी.	744/1/2	0.522	0.118	-	0.118
14	सुआ बाई पति परथी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम कैथूली मजरा गुलाबनगर भूमिस्वामी भू-राजस्व.	742	2.152	0.153	-	0.153
15	प्रताप पिता देवी लाल जाति गुजर पता निवासी ढाबला माधोसिंह भूस्वामी.	738	1.668	0.088	-	0.088
16	रेशमबाई पति रामसिंह जाति सिन्धी निवासी कैथूली भू-स्वामी.	744/1/1	0.522	0.118	-	0.118
कुल रकबा			25.179	3.270	-	3.270

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2057-रीडर-2016-प्र.क्र. 19-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांधी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथूली, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—कैथूली, क्षेत्रफल रकबा 2.575 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कैथूली	2.575	0.000	2.575
योग . .		2.575	0.000	2.575

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				असिंचित	सिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्यामलाल, प्रेमचन्द्र, नानूराम पिता जीवा व खेमीबाई बैवा जीवा, कमलाबाई बैवा प्रकाश, जीतमल पिता प्रकाश पवन राहुल नखराबाई, कैलाशीबाई पंकी पिता प्रकाश ना. बा. सरपरस्त माता कमलाबाई बैवा प्रकाश जाति बंजारा चमार निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	10/2	0.344	0.032	-	0.032
2	ललिता बाई पति मुरारीलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	40/2	1.226	0.163	-	0.163
3	श्यामबिहारी पिता मुरारीलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	39	0.316	0.252	-	0.252
4	रामप्रहलाद पिता मुरारीलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	40/1	1.226	0.102	-	0.102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	मनोहरसिंह पिता नरवर सिंह जाति राजपूत निवासी पता गोविन्दा (राजस्थान) भूमिस्वामी.	80/1	4.264	0.372	-	0.372
6	मोहनलाल पिता पन्नालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	78/2	0.164	0.016	-	0.016
7	सज्जनबाई पति मोहनलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमि स्वामी.	77	3.917	0.280	-	0.280
8	श्यामलाल पिता हिरालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	102/1/1	0.674	0.126	-	0.126
9	बनवारी लाल पिता हीरालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमि स्वामी.	102/1/2	1.502	0.048	-	0.048
10	मुकुट बिहारी पिता हीरालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	102/1/3	1.502	0.271	-	0.271
11	घनश्याम पिता नन्दलाल जाति धाकड निवासी पता भीमपुरा भूमिस्वामी.	68/2	4.677	0.332	-	0.332
12	प्रभुलाल पिता भुवाना लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	105/2	1.489	0.211	-	0.211
13	कारीबाई पिता घासी जाति धाकड निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.	118/मिन 1	4.070	0.370	-	0.370
कुल रकबा			25.371	2.575	-	2.575

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2061-रीडर-2016-प्र.क्र. 20-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथूली, तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति

को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—कैथूली, क्षेत्रफल रकबा 3.210 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कैथूली	3.210	0.000	3.210
योग . .		3.210	0.000	3.210

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बालमुकुन्द पिता किशनलाल जाति ब्राम्हण पता निवासी कैथूली भू-स्वामी.	512	0.372	0.032	-	0.032
2	सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कैथूली भू-स्वामी.	491	0.490	0.170	-	0.170
3	धापूबाई पति मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कैथूली भू-स्वामी.	490/2	2.023	0.131	-	0.131
4	राजेन्द्रसिंह पिता भानसिंह जाति राजपूत पता कैथूली भू-स्वामी.	420/2	0.235	0.038	-	0.038
5	भुलीबाई पिता देवीलाल जाति अहीर पता कैथूली भू-स्वामी.	419/1	0.493	0.086	-	0.086
6	धापूबाई बेवा मांगीलाल, जीवराज, सत्यनारायण, शकुन्तला बाई, संतोष बाई उषाबाई, विद्या बाई, बविता बाई, पिता मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी पता कैथूली भू-स्वामी.	423	0.906	0.090	-	0.090
7	हेमराज पिता नन्दा जाति गुर्जर पता कैथूली भू-स्वामी.	421/2	2.023	0.012	-	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	शोभाराम पिता भवानीराम जाति चमार पता कैथूली भू-स्वामी.	422	0.991	0.230	-	0.230
9	प्रहलाद, प्रकाश, शांतिबाई, पिता चतुरभुज व धापू बाई बेवा चतुर्भज जाति चमार पता कैथूली भू-स्वामी.	425/1	0.917	0.137	-	0.137
10	मुरारीलाल पिता जानकीलाल जाति अहीर पता कैथूली भू-स्वामी.	425/2	0.305	0.064	-	0.064
11	शम्भुलाल पिता बापूलाल जाति धाकड पता भीमपुरा भू-स्वामी.	274/2-1	1.085	0.058	-	0.058
12	ललीता बाई पति मुरारीलाल जाति अहीर पता भगवानपुरा भू-स्वामी.	289	2.298	0.008	-	0.008
13	कारूलाल, रामकिशन पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी पता भगवानपुरा भूमि-स्वामी.	276/3	3.238	0.147	-	0.147
14	चेनराम पिता बापुलाल जी जाति धाकड विासी पता कैथूली भूमि-स्वामी.	<u>277/3</u> मिन 1	0.988	0.201	-	0.201
15	घोसी बाई पति भुवाना जाति धाकड पता निवासी भगवानपुरा भूमि स्वामी.	278/2/2	6.094	0.256	-	0.256
16	सुरेन्द्रसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी पता कैथूली भूमि-स्वामी.	279/2/1 279/2/3	0.243 0.972	0.035 0.012	- -	0.035 0.012
17	रामेश्वर पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	247/3	2.323	0.134	-	0.134
18	कालु पिता कंवर लाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	246/3	1.619	0.153	-	0.153
19	गीता बाई पति राधयाम जाति धाकड निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.	245	0.615	0.086	-	0.086
20	कारूलाल, किशन, राधेश्याम, गोपाल, मोहन, रतन पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	252/1/2	1.580	0.176	-	0.176

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	रामेश्वर, मथुरालाल पिता देवीलाल रतनलाल, कंवरलाल पिता काशीराम, उडकी पिता काशीराम जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बालाशंकर, कारूलाल, शम्भुलाल पिता बालचन्द्र बरदीबाई बैवा देवीलाल जाति ब्राम्हम निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.	235	2.205	0.262	-	0.262
22	राधेश्याम, कैलाश पिता नारायण यशोदा बाई बैवा नारायण जगदीश, राजू, मुकुन पिता घनश्याम अ.कर्ता. भाई जगदीश पिता घनश्याम जाति मीणा भूमि स्वामी पता निवासी भीमपुरा.	218 220/3	1.100 1.316	0.011 0.118	- -	0.011 0.118
23	सीताबाई बैवा शिवनारायण हंसराज, कविता पिता शिवनारायण, गीताबाई बैवा शिवनारायण, निरंजन पिता शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.	217 219	2.420 1.100	0.140 0.121	- -	0.140 0.121
24	पारवति बाई बैवा प्रभुलाल, रतनलाल, मांगीलाल, मथुरालाल, बालाशंकर, कारीबाई, घीसीबाई पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.	205	1.003	0.048	-	0.048
25	प्रभुलाल, चैनराम पिता बापुलाल जाति धाकड़ निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.	206/2	2.056	0.004	-	0.004
26	कन्हैयालाल पिता मांगीलाल सुहागबाई पिता कन्हैयालाल जाति चमार पता निवासी भगवानपुरा.	435/2/1	1.000	0.250	-	0.250
योग . .			34.859	3.210	-	3.210

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2085-रीडर-2016-प्र.क्र. 21-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम लेदीकला, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—लेदीकला, क्षेत्रफल रकबा 3.430 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लेदीकला	3.430	0.000	3.430
योग . .		3.430	0.000	3.430

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विनोदकुमार पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता लेदीकला.	177/मिन/1	1.503	0.005	0.000	0.005
2	जगदीश पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता लेदीकला.	177/मिन/2	1.716	0.144	0.000	0.144
3	मांगीलाल पिता चम्पाजी जाति कलाल पता लेदीकला.	179/1	2	0.141	0.000	0.141
4	सावित्रीबाई पति देवीलाल जाति बैरागी पता लेदीकला.	179/2/1	1.091	0.112	0.000	0.112
5	प्रभुदास पिता नाथूदास जाति बैरागी पता लेदीकला.	179/2/2	1.091	0.112	0.000	0.112
6	बालमुकन्द त्रिलोकचन्द पिता रमेशचन्द जाति कुल्मी पता लेदीकला.	180 212/मिन2	0.231 2.069	0.007 0.371	0.000 0.000	0.007 0.371
7	भारतराम पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता लेदीकला.	212/मिन1	0.690	0.135	0.000	0.135
8	बिहारीलाल द. पु. नाथूलाल जाति कुल्मी पता लेदीकला.	223	1.003	0.173	0.000	0.173

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	सावरलाल पिता सुरेशचन्द जाति कुल्मी पता लेदीकला.	222	1.673	0.250	0.000	0.250
10	बनवारीलाल पिता शंकरलाल जाति मीणा पता लेदीकला.	456/2	0.956	0.218	0.000	0.218
11	हिरालाल पिता गंगाराम जाति कुल्मी लेदीकला.	454/1	1.653	0.220	0.000	0.220
12	सरजुबाई बैवा रूपनारायण जाति कुल्मी पता बैसोदा.	464 463	0.115 1.925	0.006 0.265	0.000 0.000	0.006 0.265
13	हरिसिंह रामकरण रामदयाल वालीबाई न्यालीबाठ पिता रामचन्द्र व ननदकिशोर देवीसिंह फूलचन्द्र रामेश्वर जाति मीणा पता लेदीकला.	472	3.753	0.320	0.000	0.320
14	इन्द्राबाई बैवा नारायण सावरलाल निर्मला बाई ईश्वर पिता नारायण जाति मीणा पता लेदीकला.	476/2	2.057	0.317	0.000	0.317
15	परमानन्द विष्णुकुमार पिता विहारीलाल जाति पाटीदार पता लेदीकला	665/2	1.450	0.423	0.000	0.423
16	परमानन्द पिता बिहारीलाल जाति पाटीदार पता लेदीकला.	665/1	0.724	0.211	0.000	0.211
कुल रकबा योग . .			25.500	3.430	0.000	3.430

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2089-रीडर-2016-प्र.क्र. 22-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांधी तट नहर योजना के लिये ग्राम धुआखेडी, तहसील भानपुरा, जिला मंडसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—धुआखेडी, क्षेत्रफल रकबा 1.521 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
1	धुआखेडी	1.521	0.000	1.521
योग . .		1.521	0.000	1.521

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित (5)	असिंचित (6)	कुल (7)
1	छीतरमल पिता भंवरलाल जाति चमार पता धुआखेडी.	94/1	3.544	0.354	0.000	0.354
2	बरदीलाल पिता देवा जाति चमार पता धुआखेडी.	94/2	1.045	0.098	0.000	0.098
3	बद्रीलाल पिता मोतीलाल जाति मीणा पता धुआखेडी.	105	1.014	0.098	0.000	0.098
4	घनश्याम पिता पन्नालाल जाति माली पता पिपलीया.	110/1	0.505	0.088	0.000	0.088
5	हुकुमचन्द पिता हरदेव जाति तेली पता धुआखेडी.	110/2 109/मिन 3	1.010 0.505	0.180 0.008	0.000	0.180 0.008
6	मोहरसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता धुआखेडी.	113	3.187	0.074	0.000	0.074
7	रामचन्द्र पिता हिरालाल जाति तेली पता धुआखेडी.	114	1.547	0.134	0.000	0.134
8	चन्द्रकला पति मांगीलाल जाति धाकड पता भववानी मण्डी पेट्रोल पम्प के पास.	115/1	1.129	0.151	0.000	0.151
9	दुर्गाबाई पिता उदेराम जाति धाकड पता धुआखेडी.	67	4.913	0.336	0.000	0.336
योग . .			16.884	1.521	0.000	1.521

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)]

क्र. 2093-रीडर-2016-प्र.क्र. 23-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम बोरदा तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—बोरदा, क्षेत्रफल रकबा 4.273 हे.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बोरदा	4.273	0.000	4.273
योग . .		4.273	0.000	4.273

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कंवरलाल कारूलाल पिता उदा जाति गुजर पता बोरदा.	9	1.724	0.141	0.000	0.141
2	विनोदकुमार पिता वंशीलाल जाति कुल्मी पता बोरदा.	120/1/2	1.106	0.173	0.000	0.173
3	भंवानीशंकर पिता नानूराम जाति नाई पता बोरदा.	118	0.418	0.128	0.000	0.128

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	वंशीलाल पिता बापूलाल जाति कुल्मी पता बोरदा.	117	0.428	0.029	0.000	0.029
5	मोहनलाल लक्ष्मीनारायण पिता हरदेव जाति कुल्मी पता बोरदा.	119 115	1.693 0.334	0.080 0.042	0.000 0.000	0.080 0.042
		योग . .	2.027	0.122	0.000	0.122
6	कमलेश मनीष पिता बालकृष्ण जाति कुल्मी पता बोरदा गोस्वामी.	114	0.334	0.092	0.000	0.092
7	इन्द्रनारायण पिता भवरलाल जाति कुल्मी पता बोरदा.	113 112	0.324 0.387	0.093 0.098	0.000 0.000	0.093 0.098
		योग . .	0.711	0.191	0.000	0.191
8	रामकन्याबाई पति भारतराम जाति कुल्मी पता बोरदा.	111	1.975	0.215	0.000	0.215
9	कृष्णबाई पति विनोदकुमार जाति पाटीदार पता बोरदा.	110/2	1.2	0.162	0.000	0.162
10	कारूलाल पिता सूरतराम जाति कुल्मी पता बोरदा.	109/2	1.254	0.276	0.000	0.276
11	भरतराम उर्फ भारतराम पिता जगन्नाथ जाति कुल्मी पता बोरदा.	105	1.338	0.160	0.000	0.160
12	ललिताबाई पिता रामगोपाल उं गोपाललाल जाति कुल्मी पता बोरदा.	104	1.244	0.128	0.000	0.128
13	रमेशचन्द्र पिता भारतराम जाति पाटीदार पता बोरदा.	136/2	0.966	0.275	0.000	0.275
14	रामगोपाल द. पु. तुलसीराम कुसुमबाई पिता तुलसीराम, मधुवाला बैवा तुलसीराम लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल, कमलाबाई, सुमित्राबाई, कान्ताबाई पिता देवीलाल जाति कुल्मी पता बोरदा.	135	1.223	0.151	0.000	0.151
15	पुरुषोत्तम पिता जानकीलाल व विष्णु कुमार पिता अम्बाराम जाति कुल्मी पता निवासी बोरदा.	134	1.787	0.128	0.000	0.128

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	हुकुमचन्द पिता उदेलाल जाति कुल्मी पता वोरदा.	196 195 योग . .	1.191 1.745 2.936	0.118 0.298 0.416	0.000 0.000 0.000	0.118 0.298 0.416
17	सुभाषकुमार पिता शिवनारायण जाति कुल्मी पता वोरदा.	194	1.369	0.077	0.000	0.077
18	सांवरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपूत पता वोरदा.	201	1.317	0.070	0.000	0.070
19	गोर्वधनसिंह पिता भैरूसिंह जाति पता राजपूत पता वोरदा.	202 203/3 योग . .	0.355 0.617 0.972	0.138 0.042 0.180	0.000 0.000 0.000	0.138 0.042 0.180
20	नश्वरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता वोरदा.	203/मीन 1	0.972	0.186	0.000	0.186
21	मोहनलाल पिता चतरा जाति कलार पता वोरदा.	239	1.359	0.224	0.000	0.224
22	प्रतापसिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत पता वोरदा.	241	1.432	0.020	0.000	0.020
23	लक्ष्मीनारायण पिता रामनारायण रामेशचन्द जगदीशचन्द पिता रामनारायण जाति कलार पता वोरदा.	243	2.884	0.448	0.000	0.448
24	देवीसिंह बलवन्तसिंह, भगवानसिंह, भारतसिंह पिता नागूसिंह उमग कुंवरबाई बैवा नागूसिंह जाति राजपूत पता वोरदा.	245/2	0.418	0.005	0.000	0.005
25	आनंदकुमार पिता राजेन्द्र कुमार जाति गुप्ता पता वोरदा.	251/4/2	0.890	0.202	0.000	0.202
26	नानूबाई पति रामलाल जाति कलार पता वोरदा.	251/3 योग . .	1.045 33.329	0.074 4.273	0.000 -	0.074 4.273

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग-राऊ, तहसील एवं जिला-
इन्दौर (म. प्र.)

क्र. 1273-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2015-16

राऊ, दिनांक 12 जुलाई 2016

प्ररूप- "घ" { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1196/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सिंदोड़ा प.ह.नं.- 11	173	0.039
		योग	1	0.039

क्र. 1276-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1186/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	रंगवासा प.ह.नं.- 13	11/1/702	0.163
			11/2/703	0.088
			12/704/2	0.044
			12/704/3	0.097
			15/708/ मीन-1	0.136

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	रंगवासा प.ह.नं.- 13	15/708/ मीन-2	0.018
			16/709	0.079
			18/710/1	0.057
			19/710/1	0.009
			18/710/2	0.009
			19/710/2	0.097
			97/795/2	0.062
			99/797/2	0.070
			81/778/1	0.013
			85/784/2	0.062
			81/778/2	0.132
			81/778/3	0.123
			85/784/1	0.022
			86/785/2	0.006
			88/787/2	0.053
			89/788/1	0.119
			89/788/2	0.101
			94/1	0.167
			94/3	0.044
			97/795/3/2	0.075
99/797/1	0.066			
कुल योग			26	1.912

क्र. 1279-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1181/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	डेहरी प.ह.नं.- 12	25/2	0.022
			25/3	0.046
			27	0.068
			29/1	0.097
			36	0.070

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	डेहरी प.ह.नं.- 12	37/2	0.084
			38	0.097
			73/1	0.238
			73/2	0.066
			98	0.145
			99	0.057
			102/2	0.176
			115/Min 1	0.093
			114	0.088
			120/2	0.101
			127/1	0.022
			128/1	0.066
			128/2	0.044
			132/1	0.150
			133/1/Min 1	0.333
133/1/2	0.172			
224/2/1	0.163			
कुल योग			22	2.398

क्र. 1282-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 07-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1211/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सावल्याखेड़ी प.ह.नं.- 03	71/1	0.019
			72	0.057
			73/1	0.018
			73/3	0.022
			77	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सावल्याखेड़ी प.ह.नं.- 03	76/Min- 2	0.070
			78/1/min-1	0.057
			79/1/1	0.026
			79/1/2	0.048
			79/2	0.048
			84	0.053
			83/1/Min-2	0.022
			83/2	
			85	0.044
			76/min-1	0.004
			86/min-1	0.013
			101	0.101
			102	0.066
			103	0.018
			104	0.062
			105	0.006
			106	0.006
			130/167/1	0.019
			130/167/2	0.053
			130/168/1	0.079
			130/168/2	0.075
			133/3	0.117
			136/3	0.057
			136/2	0.062
			136/7	0.055
			136/5	0.004
			136/8/1	0.057
			150/2/1	0.092
			150/2/2	0.038
			150/2/3	0.093
158/1/1	0.154			
158/1/2	0.035			
कुल योग			37	1.792

क्र. 1284-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1201/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	बिसनावदा प.ह.नं.- 05	202/1/2	0.048
			203	0.140
			205	0.028
			209/1	0.136
			210/2	0.120
इन्दौर	इन्दौर	बिसनावदा प.ह.नं.- 05	213/1/1/1	0.080
			213/3/1	0.050
			213/3/2	0.030
			213/4	0.170
कुल योग			9	0.802

क्र. 1285-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1191/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	, सिंदोड़ी प.ह.नं.- 12	7/2/1	0.040
			7/2/2/Min-1	0.035
			7/2/2/Min-2	0.007
			173/1/2	0.026
			173/9/2	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सिंदोड़ी प.ह.नं.- 12	173/6	0.044
			179/1	0.009
			173/7	0.009
			182/3/Min-1	0.119
			173/9/1	0.167
			178	0.084
			180/1	0.035
			180/2	0.070
			180/3	0.031
			181	0.011
			182/2	0.070
			186/2/1/Min-1	0.084
			182/3/Min-2	0.066
			184/1	0.044
			186/1	0.110
			193/2/1	0.017
			193/2/2	0.062
			193/3	0.119
196/1/2	0.106			
205/1	0.136			
205/2	0.119			
कुल योग			26	1.646

क्र. 1289-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1216/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	श्रीरामतलावली प.ह.नं.- 10	5	0.172
			4/1/1	0.008
			7/1	0.040
			7/2	0.114
			7/3	0.119

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	श्रीरामतलावली प.ह.नं.- 10	8/2/3	0.097
			11/1	0.075
			11/2	0.106
			12/1	0.094
			23	0.011
			22	0.077
			25/1	0.097
			26	0.013
			24/2/2/1	0.009
			24/3	0.066
			24/2/3/1	0.154
			24/2/4	0.079
			67/1/2/2	0.201
			67/7	0.055
			73/1	0.031
			73/6	0.189
			73/7	0.066
			81/1/2/2	0.119
			81/2/2	0.026
			81/3	0.020
			81/4	0.044
			83/1	0.106
			87/2	0.119
			93/2	0.097
			88/1	0.084
			88/2	0.084
89/1	0.040			
89/2/1	0.090			
89/2/2	0.090			
92	0.013			
93/1	0.119			
कुल योग			36	2.924

क्र. 1292-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1206/भू-अर्जन/2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है-

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	धरनावद प.ह.नं.- 04	162/3/1/1	0.011
			162/3/2	0.067
			162/3/3	0.031
			167	0.139
			172/2/5	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	धरनावद प.ह.नं.- 04	172/3/1	0.077
			172/3/2	0.070
			172/4/1	0.072
			172/4/2/1	0.075
			187/7	0.015
			187/8	0.044
			189	0.123
			190/2	0.139
			192/1	0.057
			193/1/1	
			193/3	0.114
			193/2/1/1	0.097
			193/2/1/2	
			193/2/2	0.031
192/2	0.123			
193/1/2				
कुल योग			21	1.289

संदीप सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)**

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

शहडोल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्रमांक 32/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भोगडाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक भमला-62, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	भोगडाटोला	3	0.087
---	---	---	4/1, 4/2	0.162
---	---	---	5	0.011
---	---	---	6	0.097
---	---	---	12	0.168
---	---	---	340	0.007
---	---	---	341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5	0.212
---	---	---	339	0.080
शहडोल	जैतपुर	भोगडाटोला	337	0.026
---	---	---	342	0.037
---	---	---	343	0.066
---	---	---	344	0.012
---	---	---	345	0.119
---	---	---	347	0.045
---	---	---	352	0.135
---	---	---	353	0.034

क्रमांक 31/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम घोरवे, पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे-63, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	घोरवे	932/1, 932/2	0.023
---	---	---	933/1, 933/2	0.056
---	---	---	934	0.143
---	---	---	935/1, 935/2	0.325
---	---	---	936/1, 936/2, 936/3	0.214
---	---	---	937	0.211
---	---	---	940/1, 940/2, 940/3, 940/4, 940/5	0.222
---	---	---	941/1, 941/2, 941/3, 941/4	0.129
---	---	---	942/1, 942/2	0.290
शहडोल	जैतपुर	घोरवे	943/1, 943/2, 943/3	0.013
---	---	---	944	0.188
---	---	---	945	0.010
---	---	---	951/1, 951/2	0.381
---	---	---	952	0.123
---	---	---	959	0.005
---	---	---	975/1, 975/2	0.283
---	---	---	981	0.021

क्रमांक 30/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	गोहपारू	देवरी	326/1, 326/2	0.113
---	---	---	324	0.428
---	---	---	323	0.129
---	---	---	332	0.112
---	---	---	333	0.097
---	---	---	334	0.110
---	---	---	337	0.124
---	---	---	338	0.050
---	---	---	339	0.053
शहडोल	गोहपारू	देवरी	340	0.052
---	---	---	341	0.045
---	---	---	345/1, 345/2	0.040
---	---	---	346	0.050
---	---	---	350/1, 350/2	0.048
---	---	---	351/1, 351/2	0.136
---	---	---	352/1/K, 352/1/Kha, 352/2	0.053
---	---	---	353/1, 353/2	0.004
---	---	---	372	0.100
---	---	---	367	0.095
---	---	---	366	0.032
---	---	---	361	0.045
---	---	---	362	0.005
---	---	---	363	0.153
---	---	---	357	0.068
---	---	---	364	0.033

क्रमांक 29/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकोहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धनगवाँ, पटवारी हल्का क्रमांक धनगवाँ-57, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	गोहपारू	धनगवाँ	1946	0.004
---	---	---	1920	0.029
---	---	---	1921	0.118
---	---	---	1922	0.145
---	---	---	1917	0.142
---	---	---	1913	0.004
---	---	---	1912	0.142
---	---	---	1906	0.113
---	---	---	1907	0.004

शहडोल	गोहपारु	धनगवॉ	1911	0.060
---	---	---	1910	0.068
---	---	---	105	0.076
---	---	---	104	0.038
---	---	---	103/1, 103/2	0.079
---	---	---	102	0.056
---	---	---	10/1, 10/2, 10/3	0.156
---	---	---	175	0.235
---	---	---	176/1/k, 176/1/Kha, 176/2	0.022
---	---	---	177/1, 177/2	0.035
---	---	---	178	0.016
---	---	---	180/1, 180/2, 180/3	0.168
---	---	---	184/1, 184/2	0.029
---	---	---	225/1, 225/2, 225/3	0.248
---	---	---	228	0.069
---	---	---	229	0.029
---	---	---	226/1, 226/2	0.081
---	---	---	230	0.040
---	---	---	232	0.051
---	---	---	191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11	0.664
---	---	---	186/1, 186/2	0.133
---	---	---	187/1, 187/2, 187/3	0.013
---	---	---	185	0.172
---	---	---	224	0.004
---	---	---	1485	0.077
---	---	---	1488	0.025
---	---	---	1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1470/5	0.438
---	---	---	1468	0.019
---	---	---	1459/1, 1459/2	0.406
---	---	---	1460	0.037
---	---	---	1466	0.036
---	---	---	1464	0.074
---	---	---	1463	0.020
---	---	---	1462	0.020
---	---	---	1461/1869	0.239
---	---	---	1428	0.058
---	---	---	1429	0.225

शहडोल	गोहपारु	धनगवॉ	1435	0.004
---	---	---	1431/1, 1431/2, 1431/3	0.221
---	---	---	1396	0.100
---	---	---	1433/1, 1433/2	0.032
---	---	---	1432/1, 1432/2, 1432/3	0.076
---	---	---	1410/1, 1410/2	0.005
---	---	---	1099	0.036
---	---	---	1146	0.016
---	---	---	1147	0.047
---	---	---	1145	0.066
---	---	---	1142	0.064
---	---	---	1138	0.045
---	---	---	1141	0.008
---	---	---	1137/1, 1137/2	0.097
---	---	---	1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4	0.162
---	---	---	1132/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4	0.040
---	---	---	1133/1, 1133/2	0.132
---	---	---	1130/1, 1130/2, 1130/3	0.106
---	---	---	1080/1, 1080/2, 1080/3	0.183
---	---	---	1518	0.097
---	---	---	1519	0.004
---	---	---	1521	0.042
---	---	---	1520	0.087
---	---	---	1529/1, 1529/2	0.181
---	---	---	1532/1, 1532/2	0.004
---	---	---	1530/1, 1530/2	0.069
---	---	---	919	0.032
---	---	---	900	0.163
---	---	---	901	0.015
---	---	---	845	0.066
---	---	---	846	0.088
---	---	---	855	0.067
---	---	---	857/1, 857/2	0.093
---	---	---	854	0.004
---	---	---	853	0.060
---	---	---	852	0.024
---	---	---	859/1, 859/2	0.006
---	---	---	860/1, 860/2	0.230
---	---	---	1792	0.092

शहडोल	गोहपारू	धनगवॉ	1786/1, 1786/2	0.004
---	---	---	1795	0.021
---	---	---	1569	0.010
---	---	---	1562/1, 1562/2/k, 1562/2/Kha	0.085
---	---	---	1564	0.097
---	---	---	1565	0.004
---	---	---	1779	0.034
---	---	---	1563/1, 1563/2/K, 1563/2/Kha	0.006
---	---	---	1780	0.058
---	---	---	1782/1, 1782/2	0.092
---	---	---	1783	0.085
---	---	---	1785	0.118
---	---	---	1843/1, 1843/2	0.085
---	---	---	1844	0.060
---	---	---	1840	0.004
---	---	---	1839	0.005
---	---	---	1845	0.004
---	---	---	1838	0.101
---	---	---	1837	0.099
---	---	---	1825	0.025
---	---	---	786/1, 786/2	0.125
---	---	---	654/1/K, 654/1/Kha, 654/2, 654/3	0.273
---	---	---	811/1, 811/2/K, 811/2/Kha	0.082
---	---	---	659/1, 659/2, 659/3	0.129
---	---	---	533/1, 533/2, 533/3	0.066
---	---	---	458	0.023
---	---	---	436	0.235
---	---	---	456	0.064
---	---	---	455	0.025
---	---	---	452	0.087
---	---	---	453	0.042
---	---	---	446	0.004
---	---	---	440	0.190
---	---	---	439	0.070
---	---	---	418	0.228
---	---	---	414/1, 414/2/K, 414/2/Kha, 414/2/Ga, 414/2/Gha, 414/2/Anga, 414/3	0.087
---	---	---	413	0.075
---	---	---	2026/1, 2026/2	0.123
शहडोल	गोहपारू	धनगवॉ	2001/1, 2001/2, 2001/3, 2001/4, 2001/5	0.334
---	---	---	2013/1, 2013/2	0.220
---	---	---	2052/1, 2052/2/K, 2052/2/Kha, 2052/3, 2052/4	0.124
---	---	---	2061/1, 2061/2, 2061/3	0.167
---	---	---	2056	0.029

क्रमांक 28/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लॉकोहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम चंगेरा, पटवारी हल्का क्रमांक चंगेरा-02, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा	465/1,465/2,465/3,465/4,465/5,465/6/K/1/1,465/6/K/1/2,465/6/K/2,465/6/Kha,465/6/Ga,465/7,465/8,465/9/K,465/9/Kha,465/10,465/11,465/12,465/13,465/14,465/15,465/16,465/17,465/18,465/19,465/20,465/21,465/22,465/23/K,465/23/Kha,465/23/Ga/1,465/23/Ga/2,465/24,465/25,465/26,465/27,465/28,465/29,465/30,465/31,465/32,465/33,465/34	0.142
---	---	---	454	0.007

शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा	456	0.035
---	---	---	409/1,409/2,409/3,409/4,409/5/K,1,409/5/K/2,409/5/Kha,409/5/Ga,409/6,409/7,409/8,409/9,409/10/K,409/10/Kha,409/10/Ga,409/10/Gha,409/11,409/12,409/13/K,409/13/Kha,409/14,409/15,409/16,409/17,409/18,409/19,409/20,409/21,	0.735
---	---	---	458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 458/8, 458/9	0.191
---	---	---	457	0.210
---	---	---	450/1, 450/2, 450/3, 450/4	0.011
---	---	---	413	0.019
---	---	---	412/3	0.055
---	---	---	437/1/K, 437/1/Kha, 437/1/Ga, 437/1/Gha, 437/2	0.169
---	---	---	441/1	0.117
---	---	---	441/2	0.018
---	---	---	443/1, 443/2	0.031
---	---	---	329/1,329/2,329/3,329/4,329/5,329/6,329/7,329/8,329/9,329/10,329/11/K,329/11/Kha,329/12,329/13,329/13/1,329/13/2,329/14,329/15,329/16/K,329/16/Kha,329/16/Ga,329/17,329/18,329/19,329/20,329/21,329/22,329/23,329/24,329/25,329/26,329/27/K,329/27/Kha,329/28,329/29,329/30	0.741
---	---	---	492/1,492/2,492/3,492/4,492/5/K,492/5/Kha,492/5/Ga,492/6,492/7,492/8,492/9,492/10,492/11,492/12,492/13,492/14,492/15,492/16,492/17,492/18,492/19,492/20,492/21,492/22,492/23,492/24,492/25,492/26,492/27,492/28,492/29	0.146
---	---	---	329/1,329/2,329/3,329/4,329/5,329/6,329/7,329/8,329/9,329/10,329/11/K,329/11/Kha,329/12,329/13,329/13/1,329/13/2,329/14,329/15,329/16/K,329/16/Kha,329/16/Ga,329/17,329/18,329/19,329/20,329/21,329/22,329/23,329/24,329/25,329/26,329/27/K,329/27/Kha,329/28,329/29,329/30	0.894

शहडोल	बुढार	चंगेरा	492/1,492/2,492/3,492/4,492/5/K,492/5/ Kha,492/5/Ga,492/6,492/7,492/8,492/9,4 92/10,492/11,492/12,492/13,492/14,492 /15,492/16,492/17,492/18,492/19,492/2 0,492/21,492/22,492/23,492/24,492/25,4 92/26,492/27,492/28,492/29,	0.319
---	---	---	330/1, 330/2/k, 330/2/Kha	0.050
---	---	---	336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6	0.461
---	---	---	283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5	0.813
---	---	---	285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/10, 285/11	0.278
---	---	---	288	0.336
---	---	---	290	0.062
---	---	---	289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6	0.693
---	---	---	268/3	0.031
---	---	---	264	0.315
---	---	---	263/1,263/2/k/1,263/2/k/2,263/2/kha/1, 263/2/kha/2,263/3/1,263/3/2,263/4/1,26 3/4/2,263/5/1,263/5/2,263/6/1,263/6/2, 263/7/1,263/7/2,263/8/1,263/8/2,263/8/ k/1,263/8/k/2,263/8/kha/1,263/8/kha/2, 263/8/Ga/1,263/8/Ga/2,263/8/Gha/1,263 /8/Gha/2,263/8/Anga/1,263/8/Anga/2,26 3/8/Cha/1,263/8/Cha/2,263/8/Chha/1,26 3/8/Chha/2,263/8/ja/1,263/8/ja/2,263/8/ jha/1,263/8/jha/2,263/8/Nai/1,263/8/Nai /2,263/8/Ta/1,263/8/Ta/2,263/8/Tha/1,2 63/8/Tha/2,263/8/UGDha/1,263/8/UGDh a/2,263/8/UGDhha/1,263/8/UGDhha/2,2 63/8/Nae/1,263/8/Nae/2,263/9/1,263/9/ 2,263/10/1,263/10/2,	0.641
---	---	---	261/1,261/2/k/1, 261/2/k/2, 261/2/kha/1, 261/2/kha/2, 261/2/Ga/1, 261/2/Ga/2, 261/2/Gha/1, 261/2/Gha/2, 261/3, 261/4/1, 261/4/2	0.381
---	---	---	259/520, 259/520/1, 259/520/2, 259/520/3, 259/520/4	0.262
---	---	---	259, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4	0.150
---	---	---	260/518/1, 260/518/2, 260/518/3, 260/518/4	0.004
---	---	---	260/1, 260/2	0.106
---	---	---	250/1, 250/2	0.162

शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा	243/1/K, 243/1/Kha, 243/1/Ga, 243/2/K/1, 243/2/K/2, 243/2/K/3, 243/2/Kha, 243/3, 243/4, 243/5/K, 243/5/Kha, 243/6, 243/7, 243/8	0.737
---	---	---	245/1, 245/2, 245/3	0.028
---	---	---	240/1, 240/2/K, 240/2/Kha, 240/2/Ga, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8	1.028
---	---	---	233/1, 233/2, 233/3, 233/4	0.007
---	---	---	232	0.304
---	---	---	231	0.270
---	---	---	230	0.271
---	---	---	234	0.008
---	---	---	148/1, 148/2	0.125
---	---	---	40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6/K, 40/6/Kha, 40/7	0.023
---	---	---	42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11/K/1, 42/11/K/2, 42/11/Kha, 42/12, 42/13/K, 42/13/Kha, 42/13/Ga, 42/13/Gha, 42/13/Anga, 42/13/Cha, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17	0.555

क्रमांक 27/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पांडखेर, पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे-63, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	पांडखेर	146/1, 146/2, 146/3, 146/4/K, 146/4/Kha, 146/4/Ga, 146/4/Gha, 146/4/Anga, 146/4/Cha, 146/4/Chha, 146/4/Ja, 146/4/Jha, 146/5, 146/6/K, 146/6/Kha, 146/6/Ga, 146/6/Gha, 146/6/Anga, 146/6/Cha, 146/6/Chha, 146/6/Ja, 146/6/Jha, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10, 146/11	0.137
शहडोल	जैतपुर	पांडखेर	154/1, 154/2, 154/3, 154/4/K, 154/4/Kha, 154/4/Ga, 154/4/Gha, 154/4/Anga, 154/4/Cha, 154/4/Chha, 154/4/Ja, 154/4/Jha, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8	0.041
---	---	---	154/226	0.020
---	---	---	151	0.053
---	---	---	150/1, 150/2	0.096
---	---	---	57/1, 57/2/K, 57/2/Kha, 57/3, 57/4, 57/5/K, 57/5/Kha	0.195
---	---	---	56	0.197
---	---	---	49/1, 49/2, 49/3/k, 49/3/kha	0.200
---	---	---	215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6	0.028
---	---	---	213/1, 213/2/K, 213/2/Kha, 213/2/Ga, 213/2/Gha, 213/3, 213/4, 213/5	0.467
---	---	---	212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7	0.300
---	---	---	207/1, 207/2/K, 207/2/Kha, 207/2/Ga, 207/2/Gha, 207/2/Anga, 207/2/Cha, 207/2/Chha, 207/2/Ja, 207/2/Jha, 207/3	0.111

क्रमांक 26/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	नौगई	87/1, 87/2/K, 87/2/Kha, 87/3, 87/4	0.428
---	---	---	84/618	0.160
---	---	---	46/1, 46/2/1, 46/2/2, 46/2/3, 46/3, 46/4, 46/5	0.514
---	---	---	47	0.059
---	---	---	50/1, 50/2	0.221
---	---	---	52/1, 52/2	0.082
---	---	---	66/1, 66/2	0.208
---	---	---	64	0.059

शहडोल	बुढ़ार	नौगई	482/1, 482/2, 482/3/K, 482/3/Kha, 482/4	0.371
---	---	---	481	0.012
---	---	---	479	0.180
---	---	---	478/1, 478/2, 478/3	0.051
---	---	---	141	0.008
---	---	---	142	0.007
---	---	---	143/1, 143/2, 143/3	0.180
---	---	---	472/1, 472/1/Kha, 472/2, 472/3	0.442
---	---	---	471/1, 471/2	0.038
---	---	---	470/1, 470/2, 470/3	0.079
---	---	---	468	0.200
---	---	---	401/1, 401/2	0.060
---	---	---	400	0.058
---	---	---	383/1, 383/2, 383/3	0.078
---	---	---	384	0.082
---	---	---	381/1, 381/2	0.089
---	---	---	380	0.024
---	---	---	385	0.089
---	---	---	377/1, 377/2	0.008
---	---	---	378	0.004
---	---	---	375/1, 375/2	0.015
---	---	---	387	0.167
---	---	---	389	0.100
---	---	---	390/1, 390/2	0.047
---	---	---	312/1/K/1, 312/1/K/2, 312/1/Kha, 312/2/k, 312/2/kha, 312/2/Ga, 312/2/Gha, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8	0.239
---	---	---	308/1, 308/2, 308/3/K, 308/3/Kha, 308/3/Ga	0.210
---	---	---	307/1/K, 307/1/Kha, 307/2/K, 307/2/Kha, 307/3/K, 307/3/Kha, 307/3/Ga	0.033
---	---	---	309/1, 309/2	0.253
---	---	---	319/1, 319/2	0.116
---	---	---	318	0.015
---	---	---	317	0.155
---	---	---	337	0.008
---	---	---	338/1, 338/2, 338/3	0.124
---	---	---	339	0.270

शहडोल	बुढ़ार	नौगई	346/1, 346/2, 346/3	0.114
---	---	---	344	0.173
---	---	---	343/1, 343/2/K, 343/2/Kha, 343/2/Ga, 343/3, 343/4	0.403
---	---	---	422	0.098
---	---	---	450/1, 450/2, 450/3	0.281
---	---	---	451	0.018
---	---	---	452	0.150
---	---	---	453	0.004
---	---	---	454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6	0.004
---	---	---	409/1, 409/2, 409/3, 409/4	0.160
---	---	---	462/1, 462/2, 462/3, 462/4	0.040
---	---	---	324/1, 324/2, 324/3	0.004
---	---	---	200/1, 200/2, 200/3, 200/4	0.395
---	---	---	199/1, 199/2	0.250
---	---	---	198/1, 198/2	0.154
---	---	---	190/1, 190/2	0.045
---	---	---	595/1, 595/2, 595/3, 595/4	0.206
---	---	---	594/1, 594/2, 594/3/K, 594/3/Kha, 594/4	0.043
---	---	---	588/1, 588/2, 588/3, 588/4	0.084
---	---	---	206	0.136
---	---	---	61	0.077

क्रमांक 25/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम चाका, पटवारी हल्का क्रमांक चाका-05, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डकट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	चाका	393	0.248
---	---	---	799/1, 799/2	0.004
---	---	---	800	0.094
---	---	---	391	0.097
---	---	---	389	0.969
---	---	---	801/1, 801/2, 801/3, 801/4, 801/5, 801/6	0.404
---	---	---	388/1, 388/2, 388/3, 388/4	0.067
---	---	---	317	0.089
शहडोल	बुढ़ार	चाका	314/1, 314/2, 314/3	0.369
---	---	---	312/1, 312/2, 312/3	0.027
---	---	---	805	0.079
---	---	---	806	0.008
---	---	---	886	0.041
---	---	---	887/1, 887/2	0.100
---	---	---	870/1, 870/2	0.510
---	---	---	888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 888/5, 888/6	0.178
---	---	---	790	0.210
---	---	---	784/1, 784/2	0.004
---	---	---	397	0.274
---	---	---	396	0.225
---	---	---	395	0.073
---	---	---	394	0.005

क्रमांक 24/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांटा उर्फ नवाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक छांटा उर्फ नवाटोला -03, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	छांटा उर्फ नवाटोला	6/1, 6/2, 6/3	0.133
---	---	---	8/1, 8/2, 8/3, 8/4	0.025
---	---	---	75/723/1, 75/723/2	0.119
---	---	---	90/727/1, 90/727/2, 90/727/3, 90/727/4, 90/727/5, 90/727/6, 90/727/7, 90/727/8, 90/727/9, 90/727/10, 90/727/11, 90/727/12, 90/727/13, 90/727/14/k/1, 90/727/14/k/2, 90/727/14/k/3, 90/727/14/kha	0.992
शहडोल	बुढ़ार	छांटा उर्फ नवाटोला	96/728/1, 96/728/2, 96/728/3, 96/728/4/1, 96/728/4/2, 96/728/4/3, 96/728/5, 96/728/6, 96/728/7, 96/728/8	0.286
---	---	---	591	0.009
---	---	---	589	0.076

---	---	---	621/1, 621/2, 621/3	0.123
---	---	---	622/1, 622/2	0.116
---	---	---	631	0.115
---	---	---	686	0.061
---	---	---	630/1, 630/2	0.089
---	---	---	629/1, 629/2	0.074
---	---	---	576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5	0.185
---	---	---	306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7	0.350
---	---	---	302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6	0.347
---	---	---	62/715	0.181
---	---	---	4	0.133
---	---	---	167	0.069
---	---	---	166	0.120
---	---	---	28	0.010
---	---	---	66	0.019
---	---	---	67	0.075
---	---	---	65	0.045
---	---	---	62	0.007
---	---	---	54	0.084

क्रमांक 23/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बिरुहुली, पटवारी हल्का क्रमांक बिरुहुली, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	बिरुहुली	811	0.147
---	---	---	810	0.053
---	---	---	794/1/क/1, 794/1/ख, 794/2	0.053
---	---	---	808/1, 808/2	0.148
---	---	---	.799/1, 799/2	0.060
---	---	---	805/1, 805/2, 805/3, 805/4	0.093
---	---	---	806/1, 806/2	0.011
---	---	---	802/1, 802/2, 802/3, 802/4	0.062
---	---	---	801, 801/1, 801/2	0.180
शहडोल	बुढ़ार	बिरुहुली	631	0.021
---	---	---	632/1, 632/3	0.191
---	---	---	622	0.033
---	---	---	625	0.210
---	---	---	626	0.092
---	---	---	801	0.150
---	---	---	630/1, 630/2, 630/3, 630/4/क, 630/4/ख, 630/4/ग	0.242
---	---	---	633/1, 633/2	0.098
---	---	---	634	0.046
---	---	---	637/1/क, 637/1/ख, 637/2, 637/3/क, 637/3/ख, 637/4	0.120
---	---	---	635/1, 635/2/क, 635/2/ख, 635/3	0.183
---	---	---	643	0.032
---	---	---	644/1, 644/2	0.238
---	---	---	645/1, 645/2, 645/3, 645/4	0.017

---	---	---	646/1/क, 646/1/ख, 646/2	0.009
---	---	---	817/1, 817/2, 817/3/क, 817/3/ख	0.024
---	---	---	818/1, 818/2, 818/3	0.105
---	---	---	822/1, 822/2, 822/3	0.013
---	---	---	819/1/क, 819/1/ख, 819/1/ग, 819/1/घ, 819/2	0.103
---	---	---	820/1, 820/2/क, 820/2/ख, 820/2/ग, 820/2/घ	0.248
---	---	---	642/1, 642/2/क, 642/2/ख, 642/2/ग, 642/2/घ, 642/3/क, 642/3/ख, 642/3/ग, 642/3/घ	0.100
---	---	---	658	0.026
---	---	---	657/1	0.134
---	---	---	826/1, 826/2	0.070
---	---	---	825	0.057
---	---	---	2	0.069
---	---	---	3/1/क, 3/1/ख, 3/2, 3/3	0.115
---	---	---	177/1, 177/2, 177/3, 177/4	0.122
---	---	---	191	0.084
---	---	---	202/1, 202/2/क, 202/2/ख, 202/2/ग, 202/3	0.302
शहडोल	बुढार	बिरुहुली	220	0.006
---	---	---	219	0.010
---	---	---	218/1, 218/2	0.012
---	---	---	207	0.011
---	---	---	206	0.019
---	---	---	199	0.151
---	---	---	442	0.010
---	---	---	441	0.023
---	---	---	438	0.122
---	---	---	439	0.019
---	---	---	440	0.029
---	---	---	454	0.159
---	---	---	453	0.020
---	---	---	461/1, 461/2	0.058
---	---	---	455	0.068
---	---	---	709/1, 709/2, 709/3/क, 709/3/ख, 709/4, 709/5/क, 709/5/ख, 709/5/ग, 709/6/क, 709/6/ख, 709/6/ग, 709/7, 709/8/क, 709/8/ख, 709/8/ग	0.296
---	---	---	544/1, 544/2, 544/3/क, 544/3/ख, 544/3/ग, 544/3/घ, 544/4, 544/5, 544/6, 544/7	0.283
---	---	---	85	0.019

क्रमांक 22/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकेहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का क्रमांक छाता-65, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुद्धार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	सोनवर्षा-65	190/1, 190/2, 190/3	0.130
---	---	---	188/1, 188/2	0.291
---	---	---	187	0.165
---	---	---	185	0.029
---	---	---	184/1, 184/2	0.114
---	---	---	182	0.082
---	---	---	181	0.007
---	---	---	236/1, 236/2	0.184
---	---	---	235/1, 235/2	0.421
शहडोल	सोहागपुर	सोनवर्षा-65	232	0.046
---	---	---	229/1/1, 229/1/2, 229/1/3, 229/2	0.041
---	---	---	228	0.008
---	---	---	97/1, 97/2, 97/3	0.011
---	---	---	94	0.045
---	---	---	96	0.075

क्रमांक 21/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेमरा, पटवारी हल्का क्रमांक सेमरा-16, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	सेमरा-16	221/1, 221/2	0.201
---	---	---	223	0.134
---	---	---	224/1, 224/2	0.199
---	---	---	216	0.099
---	---	---	217	0.036
---	---	---	218	0.013
---	---	---	219/1, 219/2, 219/3	0.273
---	---	---	335	0.112

शहडोल	बुढ़ार	सेमरा-16	344	0.070
---	---	---	343	0.125
---	---	---	342	0.111
---	---	---	273	0.075
---	---	---	268	0.094
---	---	---	270	0.201
---	---	---	271	0.028
---	---	---	1137/1, 1137/2	0.022
---	---	---	113/1, 113/2	0.025
---	---	---	112	0.126
---	---	---	108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6	0.115
---	---	---	131	0.111
---	---	---	137	0.020
---	---	---	130	0.004
---	---	---	132	0.053
---	---	---	133	0.105
---	---	---	134	0.100
---	---	---	628	0.029
---	---	---	629	0.034
---	---	---	630	0.180
---	---	---	633/1, 633/2	0.185
---	---	---	615	0.102
---	---	---	612	0.051
---	---	---	609/1, 609/2	0.041
---	---	---	608/1, 608/2	0.004
---	---	---	610	0.208
---	---	---	607	0.021
---	---	---	604/1, 604/2	0.040
---	---	---	603	0.008
---	---	---	601	0.004
---	---	---	600/1, 600/2, 600/3	0.165
---	---	---	598	0.109
---	---	---	599	0.094
---	---	---	676	0.124
---	---	---	648	0.004

शहडोल	बुढार	सेमरा-16	661/1, 661/2	0.021
---	---	---	675	0.033
---	---	---	674	0.028
---	---	---	673	0.071
---	---	---	664	0.023
---	---	---	668	0.226
---	---	---	818	0.055
---	---	---	555	0.051
---	---	---	559	0.016
---	---	---	553	0.027
---	---	---	552	0.092
---	---	---	551	0.165
---	---	---	500	0.011
---	---	---	563	0.004
---	---	---	564	0.022
---	---	---	499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5	0.176
---	---	---	496	0.021
---	---	---	495	0.016
---	---	---	491	0.010
---	---	---	492	0.024
---	---	---	493/1, 493/2	0.180
---	---	---	486	0.055
---	---	---	485	0.040
---	---	---	457	0.175
---	---	---	458	0.020
---	---	---	461/1, 461/2	0.308
---	---	---	460	0.007
---	---	---	450/1, 450/2	0.158
---	---	---	448	0.173
---	---	---	423	0.218
---	---	---	425	0.046
---	---	---	426	0.221
---	---	---	433	0.007
---	---	---	427	0.013
---	---	---	429/1, 429/2, 429/3	0.039

शहडोल	बुढ़ार	सेमरा-16	749	0.244
---	---	---	944	0.015
---	---	---	943	0.039
---	---	---	941	0.054
---	---	---	940	0.082
---	---	---	939	0.008
---	---	---	947	0.161
---	---	---	973	0.043
---	---	---	969	0.072
---	---	---	948	0.024
---	---	---	968	0.098
---	---	---	967	0.027
---	---	---	983	0.057
---	---	---	966	0.048
---	---	---	984/1/क, 984/1/ख, 984/2, 984/3, 984/4, 984/5	0.177
---	---	---	1001	0.058

क्रमांक 20/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकेहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-15, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS1 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-15, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला-15	7/2	0.394
---	---	---	7/8	0.120
---	---	---	38/495	0.138
---	---	---	38/1, 38/2	0.162
---	---	---	38	0.482
---	---	---	55	0.104
शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला-15	34/7	0.160
---	---	---	34/16	0.260
---	---	---	34/20	0.200
---	---	---	151	0.110

क्रमांक 19/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम साबो, पटवारी हल्का क्रमांक साबो-13, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्रा जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	साबो-13	255	0.181
---	---	---	208	0.028
---	---	---	207	0.181
---	---	---	206	0.070
---	---	---	205	0.013
---	---	---	204	0.014
---	---	---	200	0.047
---	---	---	203	0.017
---	---	---	202	0.025
शहडोल	बुढ़ार	साबो-13	190	0.192
---	---	---	175/1, 175/2	0.188
---	---	---	191	0.101
---	---	---	215	0.045
---	---	---	174	0.129
---	---	---	156	0.040
---	---	---	155	0.111
---	---	---	154	0.029

क्रमांक 18/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पिपरतरा, पटवारी हल्का क्रमांक छाता-65, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	पिपरतरा-65	19	0.098
—”—	—”—	—”—	20/2	0.205
—”—	—”—	—”—	49	0.072

कमांक 17/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, पटवारी हल्का क्रमांक लालपुर-64, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर-64	2093/1/क/1, 2093/1/क/2, 2093/1/क/3, 2093/1/ख, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 209/4/क, 2093/4/ख, 2093/4/ग, 2093/4/घ, 2093/4/ङ, 2093/4/च, 2093/4/छ, 2093/4/ज	1.464
---	---	---	1988/1, 1988/2, 1988/3	0.012
---	---	---	2143	0.177
---	---	---	2142	0.078

---	---	---	2141/1/क, 2141/1/ख, 2141/1/ग, 2141/1/घ, 2141/1/ङ, 2141/1/च, 2141/2, 2141/3, 2141/4	1.479
---	---	---	2149/1, 2149/2, 2149/3, 2149/4, 2149/5	0.216
---	---	---	2152	0.046
---	---	---	2182/1, 2182/2, 2182/3	0.250
---	---	---	2206/1, 2206/2/1, 2206/2/2/1, 2206/2/2/2, 2206/2/3	0.138
---	---	---	2197	0.182
---	---	---	2196/1, 2196/2, 2196/3, 2196/4	0.300
---	---	---	1860/1, 1860/2	0.123
---	---	---	1859/1, 1859/2	0.078
---	---	---	1858	0.019
---	---	---	1857	0.237
---	---	---	1853	0.066
---	---	---	2219	0.197
---	---	---	2222	0.208
---	---	---	2226	0.471
---	---	---	2230	0.029
---	---	---	2229/3	0.040
---	---	---	2229/4	0.040
---	---	---	2229/5	0.040
---	---	---	2228	0.147
---	---	---	1604/1, 1604/2, 1604/3, 1604/4, 1604/5, 1604/6	0.211
---	---	---	1606	0.017
---	---	---	1608	0.024
---	---	---	1609/1, 1609/2, 1609/3, 1609/4	0.277
---	---	---	1726/1, 1726/2, 1726/3	0.043
---	---	---	1725/2	0.125
---	---	---	1724	0.028
---	---	---	194	0.189
---	---	---	200	0.066
---	---	---	196/1, 196/2, 196/3, 196/4	0.117
---	---	---	197/1, 197/2	0.244
---	---	---	40/2	0.008

---	---	---	34	0.258
---	---	---	35	0.244
---	---	---	77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5	0.102
---	---	---	92	0.284
---	---	---	94	0.110
---	---	---	95	0.358
---	---	---	96	0.081
---	---	---	99	0.257
---	---	---	103	0.004
---	---	---	123/1, 123/2	0.089
---	---	---	124	0.124
---	---	---	125	0.079
---	---	---	126/1, 126/2	0.570
---	---	---	115	0.040
---	---	---	132/1, 132/2/1, 132/2/2	0.150
---	---	---	131/1, 131/2	0.219
---	---	---	135/1/1, 135/1/2, 135/2	0.213
---	---	---	145/1/1/1, 145/1/1/2, 145/1/2/1, 145/1/2/2, 145/2/1, 145/2/2	0.095
---	---	---	1409	0.130
---	---	---	1532/1, 1532/2, 1532/3	0.217
---	---	---	1524/1, 1524/2, 1524/3, 1524/4, 1524/5/1, 1524/5/2	0.133
---	---	---	1525/1, 1525/2, 1525/3	0.021
---	---	---	1503	0.019
---	---	---	1502	0.015
---	---	---	1504/1, 1504/2, 1504/3	0.050
---	---	---	1506	0.059
---	---	---	1499/2	0.039
---	---	---	1508	0.031
---	---	---	1509	0.062
---	---	---	1483/1, 1483/2	0.110
---	---	---	1472/1/क, 1472/1/ख, 1472/2	0.270
---	---	---	1083	0.093
---	---	---	1081	0.130
---	---	---	1082	0.014
---	---	---	1110/1, 1110/2	0.062
---	---	---	1111/1, 1111/2	0.045

---	---	---	1109/1, 1109/2	0.070
---	---	---	1128/1, 1128/2/क, 1128/2/ख	0.128
---	---	---	1129	0.020
---	---	---	1130	0.061
---	---	---	1134/1, 1134/2	0.050
---	---	---	1133/1, 1133/2	0.101
---	---	---	1135/1, 1135/2	0.004
---	---	---	1468/1, 1468/2	0.077
---	---	---	2692	0.512
---	---	---	2693	0.011
---	---	---	2923/1, 2923/2, 2923/3, 2923/4/क, 2923/4/ख, 2923/5, 2923/6, 2923/7	0.563
---	---	---	2694	0.012
---	---	---	2695	0.015
---	---	---	2915	0.027
---	---	---	2916/1, 2916/2	0.071
---	---	---	2888/1, 2888/2, 2888/3, 2888/4, 2888/5	0.004
---	---	---	2480	0.025
---	---	---	2479	0.005
---	---	---	2399	0.039
---	---	---	129	0.120
---	---	---	130	0.040
---	---	---	138	0.105
---	---	---	139/1, 139/2	0.130
---	---	---	140	0.010
---	---	---	2392/1, 2392/2	0.124

क्रमांक 16/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का क्रमांक कटकोना-17, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	कटकोना-17	565	0.130
---	---	---	742	0.191
---	---	---	743	0.102
---	---	---	738	0.005
---	---	---	744	0.031
---	---	---	745	0.239
---	---	---	735	0.127
शहडोल	बुढ़ार	कटकोना-17	648	0.013
---	---	---	647	0.064
---	---	---	649	0.030
---	---	---	641	0.041

क्रमांक 15/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जरवाही, पटवारी हल्का क्रमांक जरवाही-14, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक जल्लीटोला-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	जरवाही-14	376/1/क, 376/1/ख	0.247
---	---	---	379	0.160
---	---	---	40	0.023
---	---	---	41	0.009
---	---	---	46	0.267
---	---	---	633	0.099
---	---	---	625	0.262
---	---	---	645/1/क, 645/1/ख, 645/1/ग, 645/2	0.258
---	---	---	649/3	0.065
---	---	---	649/2	0.071
शहडोल	बुढ़ार	जरवाही-14	649/1	0.075
---	---	---	650	0.117
---	---	---	651/2	0.039
---	---	---	658/1, 658/2, 658/3	0.118

क्रमांक 14/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांता, पटवारी हल्का क्रमांक छाता-65, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	छाता- 65	55	0.035
---	---	---	56	0.007
---	---	---	57	0.027

प्ररूप-घ
[नियम 6 देखिए]

शहडोल, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्रमांक 01/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम हरदी, पटवारी हल्का 62-हरदी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	776	0.010
—	—	—	761	0.113
—	—	—	762	0.091
—	—	—	760	0.094
—	—	—	759/1, 759/2	0.286
—	—	—	757/1, 757/2	0.202
—	—	—	756/1/1, 756/1/2, 756/1/3, 756/2	0.047
—	—	—	740	0.074
—	—	—	746/1, 746/2, 746/3, 746/4	0.180
—	—	—	748/1, 748/2	0.088
—	—	—	749/1, 749/2	0.070

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	750/1, 750/2	0.183
			695	0.016
--	--	--	694	0.010
			873/1, 873/2	0.185
--	--	--	871/1, 871/2, 871/3	0.262
--	--	--	880/1, 880/2, 880/3	0.232
--	--	--	881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7	0.395
--	--	--	894	0.031
--	--	--	81/1, 81/2, 81/3/1, 81/3/2, 81/3/3, 81/4	0.090
--	--	--	434	0.407
--	--	--	435	0.032
--	--	--	479	0.053
--	--	--	480	0.010
--	--	--	481	0.111
--	--	--	478	0.010
--	--	--	477	0.010
--	--	--	482	0.022
--	--	--	486	0.019
--	--	--	485	0.058
--	--	--	483	0.010
--	--	--	484	0.010
--	--	--	489	0.004
--	--	--	490	0.036
--	--	--	456	0.010
--	--	--	491	0.098
--	--	--	492	0.053
--	--	--	493	0.024
--	--	--	494/1, 494/2	0.010
--	--	--	498	0.030
--	--	--	499/1, 499/2	0.009
--	--	--	500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6	0.084
--	--	--	503	0.132
--	--	--	502	0.021
--	--	--	511	0.020
--	--	--	553/1, 553/2, 553/3, 553/4	0.102
--	--	--	549	0.085
--	--	--	550	0.103
--	--	--	551/1, 551/2	0.027
--	--	--	545/1, 545/2	0.133

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	712/1/1, 712/1/2, 712/1/3, 712/2/1, 712/2/2	0.085
--	--	--	544	0.088
--	--	--	542	0.010
--	--	--	541/1, 541/2, 541/3	0.154
--	--	--	538/1, 538/2, 538/3	0.148
--	--	--	537	0.004
--	--	--	536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6	0.186
--	--	--	533	0.039
--	--	--	532	0.083
--	--	--	528	0.004
--	--	--	531	0.021
--	--	--	738/1, 738/2	0.031
--	--	--	739	0.147
--	--	--	737/1, 737/2	0.119
--	--	--	758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6	0.167
--	--	--	183	0.097
--	--	--	180	0.061
--	--	--	181/974	0.023
--	--	--	179	0.043
--	--	--	360	0.030
--	--	--	359	0.062
--	--	--	361	0.010
--	--	--	357/1, 357/2, 357/3	0.102
--	--	--	356/1, 356/2	0.077
--	--	--	358/1/1, 358/1/2, 358/1/3, 358/2, 358/3	0.022
--	--	--	355	0.010
--	--	--	354/1/1, 354/1/2, 354/1/3, 354/2, 354/3	0.124
--	--	--	368/1, 368/2	0.013
--	--	--	353/1/1, 353/1/2, 353/1/3, 353/2, 353/3	0.047
--	--	--	371/1/1, 371/1/2, 371/1/3, 371/2, 371/3	0.258
--	--	--	374/1/1, 374/1/2, 374/1/3, 374/2, 374/3	0.125
--	--	--	372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7	0.043
--	--	--	373/1, 373/2, 373/3	0.013

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	570	0.086
—	—	—	569	0.010
—	—	—	574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7	0.260
—	—	—	575/1, 575/2	0.117
—	—	—	647	0.134
—	—	—	646	0.010
—	—	—	644	0.226
—	—	—	645	0.010
—	—	—	640/1, 640/2, 640/3, 640/4	0.232
—	—	—	639	0.004
—	—	—	664	0.029
—	—	—	666	0.120
—	—	—	665	0.064
—	—	—	675	0.185
—	—	—	674/1/1, 674/1/2, 674/1/3, 674/2	0.112
—	—	—	676	0.010
—	—	—	684	0.006
—	—	—	673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5	0.051
—	—	—	686	0.225
—	—	—	685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6	0.075
—	—	—	690/1, 690/2, 690/3	0.117
—	—	—	689/1, 689/2, 689/3	0.155
—	—	—	687/1, 687/2, 687/3	0.028
—	—	—	886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7	0.096
—	—	—	885/1/1, 885/1/2, 885/1/3, 885/2/1, 885/2/2	0.082
—	—	—	879/1, 879/2, 879/3, 879/4	0.260
—	—	—	870/1, 870/2/1, 870/2/2	0.122
—	—	—	289	0.040
—	—	—	284/1, 284/2	0.038
—	—	—	285	0.010
—	—	—	287	0.156
—	—	—	286	0.032
—	—	—	276/1, 276/2	0.045
—	—	—	277/1, 277/2	0.295
—	—	—	280	0.010
—	—	—	278/1, 278/2	0.194
—	—	—	924/1, 924/2	0.013
—	—	—	928	0.019

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	925/1, 925/2	0.301
			923/1/1, 923/1/2, 923/2/1, 923/2/2, 923/2/3	0.084
--	--	--	934	0.095
--	--	--	945/1, 945/2, 945/3	0.060
--	--	--	944/1, 944/2	0.025
--	--	--	946/1, 946/2	0.066
--	--	--	947/1, 947/2	0.101
--	--	--	948	0.105
--	--	--	949/1, 949/2, 949/3	0.044
--	--	--	950/1, 950/2, 950/3	0.144
--	--	--	951/1, 951/2, 951/3, 951/4	0.173
--	--	--	956/1, 956/2, 956/3	0.010
--	--	--	912	0.016
--	--	--	911	0.242
--	--	--	964	0.022

क्रमांक 02/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम रायपुर, पटवारी हल्का 68-हरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	रायपुर / 68	142	0.029
--	--	--	135	0.067

---	---	---	134	0.030
---	---	---	133	0.010
---	---	---	129	0.172
---	---	---	128	0.010
---	---	---	125	0.004
---	---	---	136 / 1, 136 / 2	0.040
---	---	---	127	0.010
---	---	---	112	0.004
---	---	---	113	0.113
शहडोल	सोहागपुर	रायपुर / 68	114	0.153
---	---	---	114 / 1 / 362	0.042
---	---	---	117 / 1, 117 / 2	0.018
---	---	---	119	0.102
---	---	---	120	0.062
---	---	---	121	0.049
---	---	---	1	0.024
---	---	---	211	0.070
---	---	---	228	0.167
---	---	---	227 / 1, 227 / 2	0.131
---	---	---	240	0.104
---	---	---	241	0.014
---	---	---	239 / 1, 239 / 2	0.118
---	---	---	150	0.247
---	---	---	151 / 1, 151 / 2	0.036
---	---	---	148	0.029
---	---	---	149	0.147
---	---	---	147 / 1, 147 / 2	0.094
---	---	---	139	0.111
---	---	---	140	0.214
---	---	---	143	0.113
---	---	---	137	0.010
---	---	---	70 / 1, 70 / 2, 70 / 3, 70 / 4	0.085

क्रमांक 04/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम बड़खेड़ा, पटवारी हल्का 59-खेतौली तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	बड़खेरा/59	34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10	0.224
—	—	—	39	0.004
—	—	—	40/1/क, 40/2, 40/2/ख, 40/3/ग, 40/4/घ, 40/5/ङ.	0.554
शहडोल	सोहागपुर	बड़खेरा/59	38/1, 38/1/2, 38/1/2/ख, 38/1/3/क, 38/1/3/ख, 38/1/4/क, 38/1/4/ख, 38/1/5, 38/1/6, 38/1/7, 38/1/8, 38/2/1/क, 38/2/1/ख, 38/2/1/ग, 38/2/2, 38/2/3, 38/2/4, 38/2/5	0.012
—	—	—	47	0.169
—	—	—	46	0.408
—	—	—	132/1, 132/2, 132/3, 132/4	0.052
—	—	—	134	0.425
—	—	—	133	0.004

क्रमांक 05/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम मैका, पटवारी हल्का 61-पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबन्धित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	मैका / 61	23	0.030
			24	0.040
			47 / 1 / क, 47 / 1 / ख, 47 / 2	0.367
			45	0.020
			43	0.014
			154 / 1, 154 / 2	0.010
			155	0.070
			153 / 1, 153 / 2 / क, 153 / 2 / ख	0.361

क्रमांक 13/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का 61-पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	723	0.090
—	—	—	722 / 1, 722 / 2	0.052
—	—	—	721	0.038
—	—	—	577	0.281
—	—	—	578 / 1, 578 / 2, 578 / 3, 578 / 4, 578 / 5	0.048
—	—	—	579	0.086
—	—	—	710	0.184
—	—	—	712 / 1, 712 / 2 / क, 712 / 2 / ख	0.166
—	—	—	713 / 1, 713 / 2, 713 / 3	0.185
—	—	—	704	0.164
—	—	—	706 / 1, 706 / 2 / क, 706 / 2 / ख	0.082

शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	705	0.010
--	--	--	690/1/क, 690/1/ख, 690/1/ग, 690/2/क, 690/2/ख	0.118
--	--	--	692	0.021
--	--	--	693	0.004
--	--	--	694	0.114
--	--	--	687/1, 687/2	0.339
--	--	--	671	0.063
--	--	--	669	0.024
--	--	--	667/1, 667/2	0.121
--	--	--	662	0.004
--	--	--	663/1, 663/2	0.151
--	--	--	655/1, 655/2/क, 655/2/ख, 655/2/ग	0.219
--	--	--	654/1, 654/2	0.316
--	--	--	650	0.014
--	--	--	649	0.125
--	--	--	648	0.127
--	--	--	646	0.038
--	--	--	627/1/क, 627/1/ख, 627/1/ग, 627/2	0.066
--	--	--	826	0.015
--	--	--	57/1, 57/2, 57/3/1, 57/3/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8	0.399
--	--	--	63	0.022
--	--	--	64	0.112
--	--	--	66	0.079
--	--	--	73/1/क, 73/1/ख, 73/2	0.117
--	--	--	340	0.044
--	--	--	341	0.039
--	--	--	424/1, 424/2/1, 424/2/2, 424/3	0.027
--	--	--	428/1, 428/1/ख, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7	0.500
--	--	--	426	0.004

शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7/1, 68/7/2, 68/8	0.188
--	--	--	71/1, 71/2, 71/3	0.145
--	--	--	72	0.071
--	--	--	782/1/1, 782/1/2, 782/1/3, 782/1/4	0.129
--	--	--	781/1, 781/2/क/1, 781/2/क/2, 781/2/क/3, 781/2/ख/1, 781/2/ख/2, 781/2/ख/3, 781/2/ग, 781/3	0.151
--	--	--	780	0.115
--	--	--	779	0.043
--	--	--	776/1, 776/2, 776/3	0.318
--	--	--	778	0.014
--	--	--	777	0.004
--	--	--	754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5/क, 754/5/ख, 754/6, 754/7	0.597
--	--	--	753/1, 753/2	0.538
--	--	--	724	0.175
--	--	--	725	0.098
--	--	--	592/1, 592/2/1, 592/2/2, 592/2/3, 592/2/4, 592/2/5, 592/2/6, 592/2/7	0.117
--	--	--	597/1, 597/2/क, 597/2/ख, 597/2/ग, 597/3/क, 597/3/ख	0.174
--	--	--	600	0.021
--	--	--	591	0.102
--	--	--	589/1, 589/2	0.012
--	--	--	585	0.232
--	--	--	709/1/1, 709/1/2, 709/1/3, 709/2/1, 709/2/2, 709/2/3, 709/3	0.207
--	--	--	707	0.004
--	--	--	708/1, 708/2/क, 708/2/ख, 708/2/ग/1/1, 708/2/ग/1/2, 708/2/ग/1/3	0.140
--	--	--	689	0.004

शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	688	0.139
--	--	--	670	0.004
--	--	--	740	0.043
--	--	--	736	0.131
--	--	--	737 / 1, 737 / 2, 737 / 3, 737 / 4	0.173
--	--	--	738	0.299
--	--	--	739 / 1, 739 / 2, 739 / 3, 739 / 4	0.363
--	--	--	742 / 1, 742 / 2, 742 / 3, 742 / 4, 742 / 5	0.104
--	--	--	805	0.031
--	--	--	806 / 1, 806 / 2, 806 / 3	0.085
--	--	--	807	0.170
--	--	--	820 / 1, 820 / 2 क, 820 / 2 ख, 820 / 2 ग, 820 / 2 घ	0.080
--	--	--	825 / 1, 825 / 2, 825 / 3, 825 / 4	0.305
--	--	--	824	0.110
--	--	--	672 / 1, 672 / 2	0.120
--	--	--	673	0.170
--	--	--	685 / 1, 685 / 2, 685 / 3	0.050

क्रमांक 03/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम बरहाई, पटवारी हल्का 59-खेतौली तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	174	0.036
--	--	--	268	0.152
--	--	--	178	0.010
--	--	--	179	0.138
--	--	--	180	0.337
--	--	--	101	0.027
--	--	--	181	0.066
--	--	--	185 / 1, 185 / 2	0.095
--	--	--	241	0.086
--	--	--	240	0.059
--	--	--	239 / 1, 239 / 2, 239 / 3, 239 / 4	0.332
शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	246	0.010
--	--	--	235 / 1, 235 / 2	0.067
--	--	--	236	0.036
--	--	--	232 / 1, 232 / 2	0.087
--	--	--	231	0.155
--	--	--	229	0.025
--	--	--	228 / 1, 228 / 2	0.027
--	--	--	224 / 1, 224 / 2	0.240
--	--	--	223	0.170
--	--	--	222	0.049
--	--	--	221	0.032
--	--	--	302	0.119
--	--	--	303	0.046
--	--	--	305	0.063
--	--	--	216 / 1 / क, 216 / 1 / ख, 216 / 1 / ग, 216 / 2	0.102
--	--	--	306	0.080

--	--	--	307	0.057
--	--	--	314	0.020
--	--	--	309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5	0.020
--	--	--	310	0.136
--	--	--	311	0.056
--	--	--	312	0.033
--	--	--	49/1, 49/2	0.046
--	--	--	48	0.044
--	--	--	34	0.150
--	--	--	33	0.004
--	--	--	32	0.191
--	--	--	31	0.004
--	--	--	26	0.111
--	--	--	25	0.164
--	--	--	23	0.150
--	--	--	22	0.126
--	--	--	19	0.004
--	--	--	21	0.065
--	--	--	20	0.037
शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	210	0.118
--	--	--	198	0.097
--	--	--	199	0.004
--	--	--	197	0.122
--	--	--	54	0.004
--	--	--	196	0.096
--	--	--	56	0.014
--	--	--	195/1/1, 195/1/2, 195/2/1, 195/2/2	0.145
--	--	--	193	0.017
--	--	--	192	0.092
--	--	--	188	0.012
--	--	--	189	0.004
--	--	--	186	0.025
--	--	--	187	0.014
--	--	--	285	0.026

--	--	--	283/1/क, 283/1/ख, 283/1/ग, 283/1/घ, 283/1/ड., 283/2, 283/3, 283/4	0.150
--	--	--	286	0.021
--	--	--	287/1/1/क, 287/1/1/ख, 287/1/1/ग, 287/1/1/घ, 287/1/2, 287/1/3, 287/1/4, 287/2/1, 287/2/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6	0.729
--	--	--	226	0.080
--	--	--	225/1, 225/2	0.046
--	--	--	299/1/1/1, 299/1/1/2, 299/1/1/3, 299/1/1/4, 299/1/1/5, 299/1/2, 299/2	0.148
--	--	--	323/1, 323/2	0.102
--	--	--	322/1, 322/2	0.082
--	--	--	308	0.076
--	--	--	28	0.010
--	--	--	29	0.096
--	--	--	27	0.053
--	--	--	30	0.010
शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	316/1, 316/2	0.508
--	--	--	41	0.085
--	--	--	40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5	0.089
--	--	--	37	0.209
--	--	--	36/1, 36/2, 36/3	0.287

क्रमांक 07/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का 63-नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1171	0.027
--	--	--	1170	0.010
--	--	--	1169	0.010
--	--	--	1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/4/1, 1173/4/2	0.465
--	--	--	1179	0.010
--	--	--	1177/1/1, 1177/1/1/1, 1177/1/1/2, 1177/1/1/3, 1177/1/2, 1177/2	0.196
--	--	--	1182	0.004
--	--	--	1178/1, 1178/2	0.232
--	--	--	1194/2, 1194/3, 1194/4	1.467

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1183	0.142
--	--	--	1210	0.119
--	--	--	1209	0.086
--	--	--	1214	0.010
--	--	--	1215	0.010
--	--	--	1213	0.180
--	--	--	1217/1, 1217/2, 1217/3	0.004
--	--	--	1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1223/5	0.062
--	--	--	1246	0.023
--	--	--	1243	0.225
--	--	--	1242	0.177
--	--	--	1241/1, 1241/2	0.102
--	--	--	1226/1, 1226/2, 1226/3	0.010
--	--	--	1240	0.172
--	--	--	1230/1, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1230/5	0.175
--	--	--	1229	0.061
--	--	--	1228	0.141
--	--	--	965/1, 965/2	0.587
--	--	--	964	0.027
--	--	--	963	0.036
--	--	--	961/1, 961/2	0.215
--	--	--	953	0.105
--	--	--	959	0.080
--	--	--	958/1, 958/2	0.090
--	--	--	955	0.280
--	--	--	954/1, 954/2	0.050
--	--	--	1529	0.035
--	--	--	1531/1, 1531/2, 1531/3, 1531/4, 1531/5	0.422
--	--	--	1532	0.125
--	--	--	945/1/क, 945/1/ख, 945/1/ग, 945/2/1, 945/2/2, 945/2/3	0.345
--	--	--	1533	0.128
--	--	--	1539/1, 1539/2, 1539/3, 1539/4	0.126
--	--	--	1540	0.235
--	--	--	938	0.825
--	--	--	18	0.383
--	--	--	19	0.035

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	20	0.010
—	—	—	26	0.180
—	—	—	27	0.105
—	—	—	39/1, 39/2	0.170
—	—	—	36	0.020
—	—	—	35	0.040
—	—	—	34	0.073
—	—	—	43	0.060
—	—	—	44	0.093
—	—	—	47	0.010
—	—	—	58	0.085
—	—	—	56	0.010
—	—	—	69	0.010
—	—	—	68/1, 68/2	0.152
—	—	—	67	0.139
—	—	—	66	0.040
—	—	—	96/1/क, 96/1/ख, 96/2	0.107
—	—	—	99	0.040
—	—	—	93	0.035
—	—	—	1280	0.034
—	—	—	1281/1, 1281/2	0.186
—	—	—	1278/1, 1278/2, 1278/3, 1278/4, 1278/5, 1278/6, 1278/7, 1278/8	0.507
—	—	—	1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4	0.250
—	—	—	1277	0.125
—	—	—	1172	0.022
—	—	—	1019	0.010
—	—	—	1020/1/1, 1020/1/2, 1020/2, 1020/3	0.199
—	—	—	1201	0.190
—	—	—	1198/1, 1198/2	0.131
—	—	—	1196	0.056
—	—	—	1195	0.192
—	—	—	1193/1, 1193/2	0.185
—	—	—	1340	0.030
—	—	—	1310/1, 1310/2, 1310/3/1, 1310/3/2	0.174
—	—	—	1309	0.004
—	—	—	1311	0.066

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1312	0.084
--	--	--	1308/1, 1308/2, 1308/3, 1308/4	0.075
--	--	--	1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/5/1, 1250/5/2, 1250/6, 1250/7, 1250/8, 1250/9/1, 1250/9/2, 1250/10	0.468
--	--	--	1323/1, 1323/2	0.102
--	--	--	1362	0.235
--	--	--	1361	0.010
--	--	--	1233/1, 1233/2, 1233/3/1, 1233/3/2	0.166
--	--	--	1232	0.283
--	--	--	936	0.180
--	--	--	942/1, 942/2	0.486
--	--	--	930	0.530
--	--	--	527/1, 527/2	0.050
--	--	--	245	0.113
--	--	--	246	0.074
--	--	--	247	0.010
--	--	--	243	0.135
--	--	--	242/1, 242/2	0.010
--	--	--	240	0.172
--	--	--	241	0.010
--	--	--	238	0.275
--	--	--	263	0.010
--	--	--	237	0.133
--	--	--	264	0.248
--	--	--	265	0.010
--	--	--	269	0.095
--	--	--	260	0.104
--	--	--	289	0.010
--	--	--	291	0.128
--	--	--	292/1, 292/2	0.079
--	--	--	293	0.091
--	--	--	421	0.015
--	--	--	294	0.010
--	--	--	255	0.004
--	--	--	295	0.027
--	--	--	259	0.004
--	--	--	417	0.253

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	301	0.137
"	"	"	303	0.094
"	"	"	300	0.004
"	"	"	416/1, 416/2	0.098
"	"	"	411	0.040
"	"	"	408/1, 408/2	0.254
"	"	"	409/1, 409/2	0.307
"	"	"	654	0.108
"	"	"	651	0.020
"	"	"	407	0.010
"	"	"	655	0.146
"	"	"	656	0.004
"	"	"	653	0.012
"	"	"	657	0.088
"	"	"	659	0.103
"	"	"	660	0.004
"	"	"	664	0.010
"	"	"	668	0.020
"	"	"	669	0.027
"	"	"	658	0.038
"	"	"	670	0.041
"	"	"	671	0.055
"	"	"	672	0.015
"	"	"	673	0.022
"	"	"	681	0.010
"	"	"	629	0.066
"	"	"	682	0.151
"	"	"	617	0.004
"	"	"	616	0.004
"	"	"	683/1, 683/2	0.128
"	"	"	607	0.079
"	"	"	615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 615/6	0.185
"	"	"	610/1, 610/2, 610/3	0.163
"	"	"	614/1, 614/2	0.038
"	"	"	593	0.150
"	"	"	592	0.010
"	"	"	589/1, 589/2, 589/3, 589/4	0.014
"	"	"	588/1, 588/2	0.098

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	587/1, 587/2, 587/3, 587/4	0.010
--	--	--	583/1, 583/2, 583/3, 583/4	0.074
--	--	--	582/1, 582/2	0.074
--	--	--	581/1, 581/2	0.010
--	--	--	847/1, 847/2, 847/3/क, 847/3/ख	0.024
--	--	--	578/1, 578/2, 578/3	0.123
--	--	--	577/1, 577/2	0.022
--	--	--	576/1, 576/2	0.113
--	--	--	575/1, 575/2	0.026
--	--	--	574/1, 574/2	0.112
--	--	--	573/1, 573/2	0.010
--	--	--	913	0.004
--	--	--	907	0.083
--	--	--	906	0.010
--	--	--	908	0.028
--	--	--	909	0.068
--	--	--	910	0.011
--	--	--	912	0.047
--	--	--	946	0.043
--	--	--	921	0.171
--	--	--	922	0.034
--	--	--	923	0.015
--	--	--	943	0.069
--	--	--	924	0.128
--	--	--	940	0.227
--	--	--	937	0.004
--	--	--	1544	0.137
--	--	--	2/1, 2/2, 2/3, 2/4	0.110
--	--	--	5	0.041
--	--	--	7/1, 7/2	0.056
--	--	--	6/1, 6/1/ख, 6/2, 6/3, 6/4	0.075
--	--	--	17	0.083
--	--	--	21/1, 21/2	0.010
--	--	--	22/1, 22/2, 22/3/क, 22/3/ख	0.010
--	--	--	141	0.021
--	--	--	142/1, 142/2	0.062
--	--	--	143	0.018
--	--	--	212	0.070

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	210	0.189
--	--	--	211	0.004
--	--	--	209	0.010
--	--	--	197	0.004
--	--	--	208	0.116
--	--	--	198/1, 198/2	0.162
--	--	--	207	0.018
--	--	--	199/1, 199/2, 199/3	0.160
--	--	--	201/1, 201/2	0.092
--	--	--	202	0.042
--	--	--	234/1, 234/2, 234/3	0.010
--	--	--	236	0.015
--	--	--	235	0.011
--	--	--	451/1/क/1, 451/1/क/2, 451/1/क/3, 451/1/क/4, 451/1/ख, 451/1/ग, 451/1/घ, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 451/13	0.482
--	--	--	448	0.004
--	--	--	449	0.123
--	--	--	535	0.085
--	--	--	536	0.045
--	--	--	545/1, 545/2	0.182
--	--	--	544	0.039
--	--	--	549/1, 549/2	0.010
--	--	--	550/1, 550/1/ख, 550/2, 550/3	0.101
--	--	--	558/1/1, 558/1/2, 558/2, 558/3	0.063
--	--	--	559	0.065
--	--	--	569	0.028
--	--	--	568	0.057
--	--	--	570/1/1, 570/1/2, 570/2, 570/3	0.010
--	--	--	571/1/1, 571/1/2, 571/2, 571/3	0.091
--	--	--	572	0.078
--	--	--	579/1, 579/2	0.004

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	580/1, 580/2	0.012
--	--	--	1376	0.034
--	--	--	1375/1, 1375/2	0.253
--	--	--	1373/1, 1373/2	0.092
--	--	--	1372	0.050
--	--	--	1380	0.003
--	--	--	1381/1, 1381/2	0.041
--	--	--	1392	0.050
--	--	--	1391	0.219
--	--	--	1390	0.036
--	--	--	1388	0.150
--	--	--	1395	0.004
--	--	--	1387	0.184
--	--	--	1386	0.017
--	--	--	1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1407/6	0.133
--	--	--	1410	0.071
--	--	--	1409	0.060
--	--	--	1420	0.005
--	--	--	1419	0.079
--	--	--	1418	0.048
--	--	--	1424	0.023
--	--	--	1425	0.120
--	--	--	1427/1, 1427/2	0.340
--	--	--	1430	0.310
--	--	--	1431	0.301
--	--	--	1429	0.008
--	--	--	1432	0.104
--	--	--	1438	0.236
--	--	--	1436	0.064
--	--	--	1437	0.098
--	--	--	1366/1/1, 1366/1/2, 1366/2, 1366/3/1, 1366/3/2, 1366/4, 1366/5, 1366/6, 1366/7, 1366/8	0.605
--	--	--	1506	0.448
--	--	--	1495	0.107
--	--	--	1496	0.075
--	--	--	1497	0.004
--	--	--	1494	0.120
--	--	--	1499	0.029

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1503/1, 1503/2	0.093
--	--	--	1559/1, 1559/2, 1559/3	0.070
--	--	--	1560/1, 1560/2	0.080
--	--	--	1564	1.286
--	--	--	1504	0.318
--	--	--	1558/1, 1558/2, 1558/3	0.121
--	--	--	1557	0.248
--	--	--	1562	0.080
--	--	--	1561	0.060
--	--	--	1345	0.189
--	--	--	1344/1, 1344/2	0.110
--	--	--	1346	0.028
--	--	--	1347/1, 1347/2, 1347/3	0.197
--	--	--	1367/1, 1367/2	0.236
--	--	--	1399	0.009
--	--	--	1423	0.026
--	--	--	1428/1, 1428/2, 1428/3	0.004
--	--	--	1565	0.827
--	--	--	1553/1, 1553/2	0.132
--	--	--	1449	0.025
--	--	--	1448	0.045
--	--	--	1447	0.042
--	--	--	1415	0.012
--	--	--	1416/1, 1416/2, 1416/3	0.143
--	--	--	1445	0.067
--	--	--	1426	0.004
--	--	--	1444	0.140
--	--	--	1457/1, 1457/2, 1457/3	0.528
--	--	--	1452	0.075
--	--	--	1451	0.004
--	--	--	1450/1, 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7	0.235

क्रमांक 10/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम हरी, पटवारी हल्का 68-हरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	422	0.047
--	--	--	646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 646/5, 646/6, 646/7	0.289
--	--	--	645/1, 645/2	0.041
--	--	--	644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6	0.010
--	--	--	628/1, 628/2, 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7	0.180
--	--	--	629/1/क, 629/1/ख, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5	0.235
--	--	--	630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5	0.104

शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	633/1/क, 633/1/ख, 633/2, 633/3	0.017
--	--	--	631/1, 631/2, 631/3	0.099
--	--	--	625/1, 625/2, 625/3, 625/4	0.083
--	--	--	624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5	0.201
--	--	--	621	0.008
--	--	--	619/1, 619/2, 619/3	0.010
--	--	--	622	0.047
--	--	--	620	0.156
--	--	--	613	0.066
--	--	--	611	0.004
--	--	--	612	0.034
--	--	--	563	0.262
--	--	--	561	0.010
--	--	--	562/1, 562/2	0.073
--	--	--	559	0.015
--	--	--	555	0.020
--	--	--	552/1, 552/2	0.016
--	--	--	554/1, 554/2	0.092
--	--	--	553	0.149
--	--	--	530	0.131
--	--	--	479	0.024
--	--	--	529	0.186
--	--	--	528	0.213
--	--	--	533	0.270
--	--	--	535	0.215
--	--	--	534	0.024
--	--	--	536	0.004
--	--	--	537	0.134
--	--	--	540	0.047
--	--	--	539	0.109
--	--	--	538	0.013
--	--	--	541	0.123
--	--	--	544/1, 544/2, 544/3	0.004
--	--	--	542	0.093
--	--	--	543	0.031
--	--	--	509	0.021
--	--	--	414/1, 414/2	0.027
--	--	--	417/1, 417/2	0.192

शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	418	0.139
"	"	"	419/1, 419/2, 419/3	0.004
"	"	"	420/1, 420/2	0.089
"	"	"	421	0.014
"	"	"	423/1, 423/2/क, 423/2/ख	0.282
"	"	"	406	0.054
"	"	"	435	0.010
"	"	"	433	0.046
"	"	"	434/1, 434/2	0.010
"	"	"	432/1, 432/2, 432/3	0.012
"	"	"	424/1, 424/2	0.549
"	"	"	627/1, 627/2, 627/3, 627/4	0.147
"	"	"	507	0.004
"	"	"	506/1, 506/2, 506/3/1, 506/3/2, 506/4	0.051
"	"	"	505/1/1, 505/1/2, 505/1/3, 505/1/4, 505/1/5, 505/2/1, 505/2/2	0.160
"	"	"	501/1, 501/2, 501/3, 501/4	0.245
"	"	"	498/1, 498/2, 498/3	0.114
"	"	"	497	0.034
"	"	"	473	0.028
"	"	"	474/1, 474/2/1, 474/2/2	0.068
"	"	"	484/1, 484/2	0.152
"	"	"	488/1, 488/2, 488/3	0.010
"	"	"	483	0.071
"	"	"	477	0.004
"	"	"	481	0.125
"	"	"	480	0.107
"	"	"	437/1, 437/2, 437/3	0.082
"	"	"	438	0.020
"	"	"	399/1, 399/2	0.080
"	"	"	398	0.138
"	"	"	377	0.090
"	"	"	376	0.030
"	"	"	375	0.130
"	"	"	374	0.085
"	"	"	361/1 ख, 361/1 ग	0.099
"	"	"	373	0.070
"	"	"	369	0.078

..... (सहस्र)

शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	368	0.040
—	—	—	371	0.095
—	—	—	328	0.115
—	—	—	330/1, 330/2, 330/3, 330/4	0.116
—	—	—	346/1, 346/2	0.010
—	—	—	532/1, 532/2	0.183
—	—	—	590	0.018
—	—	—	591	0.005
—	—	—	572/1, 572/2	0.085
—	—	—	601	0.080
—	—	—	603	0.077
—	—	—	602	0.136
—	—	—	568/1, 568/2, 568/3	0.204
—	—	—	569/1, 569/2	0.168
—	—	—	564	0.020

क्रमांक 11/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का 60-सेंदुरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबन्धित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	526/1, 526/2	0.181
—	—	—	528	0.215
—	—	—	527	0.030
—	—	—	522	0.381
—	—	—	529	0.004
—	—	—	523/1, 523/2	0.200
—	—	—	183/1, 183/2, 183/3	0.026
—	—	—	175	0.021
—	—	—	184/1, 184/2	0.117
—	—	—	187	0.046
—	—	—	185	0.096
—	—	—	186/1/क, 186/1/ख, 186/2	0.032
—	—	—	195	0.025

शहजोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	198 / 1 / क, 198 / 1 / ख, 198 / 2	0.273
--	--	--	197	0.134
--	--	--	196 / 1, 196 / 2, 196 / 3	0.112
--	--	--	208	0.095
--	--	--	212 / 1, 212 / 2, 212 / 3, 212 / 4, 212 / 5, 212 / 6, 212 / 7	0.341
--	--	--	223 / 1, 223 / 2	0.264
--	--	--	224	0.037
--	--	--	226	0.085
--	--	--	237	0.315
--	--	--	240	0.488
--	--	--	239	0.029
--	--	--	243	0.158
--	--	--	241	0.111
--	--	--	271	0.192
--	--	--	270	0.250
--	--	--	274	0.033
--	--	--	286	0.785
--	--	--	279	0.079
--	--	--	278 / 1, 278 / 2, 278 / 3, 278 / 4, 278 / 5, 278 / 6, 278 / 7, 278 / 8, 278 / 9, 278 / 10, 278 / 11, 278 / 12, 278 / 13	0.130
--	--	--	282	0.036
--	--	--	284	0.166
--	--	--	432	0.010
--	--	--	433	0.267
--	--	--	434 / 1, 434 / 2	0.047
--	--	--	435	0.221
--	--	--	436	0.010
--	--	--	437	0.059
--	--	--	438	0.068
--	--	--	439 / 1, 439 / 2	0.072
--	--	--	441	0.022
--	--	--	442	0.079
--	--	--	456 / 1, 456 / 2 / क, 456 / 2 / ख, 456 / 2 / ग, 456 / 3	0.712
--	--	--	457	0.056
--	--	--	458 / 1, 458 / 2	0.133
--	--	--	461	0.185
--	--	--	460	0.032
--	--	--	96	0.265
--	--	--	95	0.191

शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	94	0.014
--	--	--	92	0.039
--	--	--	91	0.064
--	--	--	90	0.048
--	--	--	89	0.010
--	--	--	88	0.079
--	--	--	87	0.039
--	--	--	86	0.106
--	--	--	83	0.004
--	--	--	84	0.047
--	--	--	82	0.004
--	--	--	81/654	0.114
--	--	--	80/1, 80/2, 80/676	0.175
--	--	--	79	0.013
--	--	--	77/1, 77/2	0.026
--	--	--	93	0.010
--	--	--	104	0.018
--	--	--	76	0.022
--	--	--	23	0.004
--	--	--	22	0.049
--	--	--	34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6	0.320
--	--	--	41	0.036
--	--	--	41/679	0.074
--	--	--	42/1, 42/2/क, 42/2/ख, 42/3	0.258
--	--	--	43/1, 43/2, 43/3, 43/4	0.050
--	--	--	43/674	0.038
--	--	--	52	0.109
--	--	--	73	0.082
--	--	--	51	0.059
--	--	--	74	0.221
--	--	--	75	0.004
--	--	--	152	0.010
--	--	--	126	0.044
--	--	--	125	0.051
--	--	--	127	0.069
--	--	--	131	0.019
--	--	--	132	0.044
--	--	--	133	0.004
--	--	--	130	0.010
--	--	--	135	0.136
--	--	--	136	0.202
--	--	--	122	0.014
--	--	--	211	0.004

शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/8	0.123
--	--	--	501	0.078
--	--	--	206/1/क, 206/1/ख, 206/2, 206/3/क, 206/3/ख	0.018
--	--	--	205	0.101
--	--	--	204/1, 204/2	0.193
--	--	--	207	0.083
--	--	--	301	0.058
--	--	--	312	0.022
--	--	--	260	0.149
--	--	--	263	0.185
--	--	--	262	0.010
--	--	--	265	0.277
--	--	--	287	0.084
--	--	--	288	0.030
--	--	--	281	0.010
--	--	--	277/671/1/क, 277/671/1/ख, 277/671/1/ग, 277/671/1/घ, 277/671/2	0.081
--	--	--	277/669/1, 277/669/2, 277/669/3	0.010
--	--	--	383/1, 383/2	0.366
--	--	--	384/1, 384/2	0.345
--	--	--	385/1, 385/2	0.129
--	--	--	386/1, 386/2	0.004
--	--	--	388/680	0.014
--	--	--	387	0.394
--	--	--	410	0.115
--	--	--	414/685	0.014
--	--	--	415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7	0.096
--	--	--	413	0.050
--	--	--	412	0.110
--	--	--	422/1/क, 422/1/ख, 422/2	0.085
--	--	--	421/1, 421/2	0.077
--	--	--	427/1, 427/2, 427/3	0.486
--	--	--	420	0.004
--	--	--	451	0.197
--	--	--	450/1, 450/2, 450/3	0.132
--	--	--	449	0.101
--	--	--	467/1, 467/2, 467/3	0.004
--	--	--	468/1, 468/2	0.004

शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	466	0.125
--	--	--	650 / 1 / क, 650 / 1 / ख, 650 / 2	0.112
--	--	--	651 / 1, 651 / 2	0.086
--	--	--	652	0.014
--	--	--	533 / 1, 533 / 2	0.477
--	--	--	537 / 1, 537 / 2, 537 / 3, 537 / 4 / क, 537 / 4 / ख, 537 / 4 / ग, 537 / 5, 537 / 6 / क, 537 / 6 / ख, 537 / 7, 537 / 8	0.817
--	--	--	536 / 1 / क, 536 / 1 / ख / 1, 536 / 1 / ख / 2, 536 / 1 / ग, 536 / 2	0.403
--	--	--	599 / 1, 599 / 2, 599 / 3, 599 / 4, 599 / 5 / क, 599 / 5 / ख	0.588
--	--	--	600	0.052
--	--	--	559 / 1, 559 / 2	0.047
--	--	--	543	0.167
--	--	--	542 / 1, 542 / 2, 542 / 3	0.573
--	--	--	539 / 1, 539 / 2	0.790
--	--	--	544 / 1, 544 / 2	0.068
--	--	--	541 / 1, 541 / 2	0.249
--	--	--	540 / 1, 540 / 2	0.424
--	--	--	538 / 1, 538 / 2	0.245
--	--	--	611 / 1, 611 / 2	0.075
--	--	--	597 / 1, 597 / 2	0.422
--	--	--	591	0.019
--	--	--	598 / 1 / क, 598 / 1 / ख, 598 / 2, 598 / 3, 598 / 4, 598 / 5, 598 / 6	0.118
--	--	--	606	0.086
--	--	--	605 / 1, 605 / 2, 605 / 3, 605 / 4	0.234
--	--	--	601	0.226

प्ररूप-घ

[नियम 6 देखिए]

शहडोल, दिनांक 18 जुलाई 2016

कमांक 06/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम खेतौली, पटवारी हल्का 59-खेतौली तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	58	0.035
—	—	—	56	0.062
—	—	—	57	0.087
—	—	—	75/1, 75/2	0.097
—	—	—	74	0.004
—	—	—	76	0.051
—	—	—	81	0.048
—	—	—	80	0.013
—	—	—	82	0.052
—	—	—	84	0.016
—	—	—	83	0.113
—	—	—	86	0.319

उत्तराखण्ड / उत्तराखण्ड

शंङडल	सलललललल	खेतुलु / 59		
--	--	--	87	0.106
--	--	--	88	0.100
--	--	--	89/2	0.029
--	--	--	90	0.110
--	--	--	92	0.088
--	--	--	94	0.177
--	--	--	96	0.019
--	--	--	95	0.134
--	--	--	119/1, 119/2, 119/3	0.076
--	--	--	118	0.015
--	--	--	116	0.079
--	--	--	115	0.077
--	--	--	114	0.065
--	--	--	127	0.172
--	--	--	126/1, 126/2, 126/3	0.004
--	--	--	128	0.094
--	--	--	136	0.011
--	--	--	129	0.010
--	--	--	135	0.093
--	--	--	479	0.050
--	--	--	489	0.049
--	--	--	480/1, 480/2	0.019
--	--	--	487	0.016
--	--	--	484	0.092
--	--	--	483/1, 483/2	0.107
--	--	--	485	0.004
--	--	--	486	0.004
--	--	--	482	0.113
--	--	--	522	0.271
--	--	--	521/1, 521/2	0.007
--	--	--	520	0.004
--	--	--	523	0.132
--	--	--	524	0.004
--	--	--	525	0.006
--	--	--	526	0.005
--	--	--	527	0.058
--	--	--	528	0.014
--	--	--	529	0.057
--	--	--	464	0.010
--	--	--	530/1, 530/2	0.014

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	537	0.287
--	--	--	536/1, 536/2, 536/3, 536/4	0.007
--	--	--	541	0.192
--	--	--	540	0.010
--	--	--	542	0.088
--	--	--	543	0.010
--	--	--	613	0.038
--	--	--	612	0.103
--	--	--	610	0.019
--	--	--	611	0.004
--	--	--	811	0.092
--	--	--	812	0.114
--	--	--	803	0.017
--	--	--	802/1, 802/2, 802/3, 802/4/k, 802/4/kha , 802/5	0.265
--	--	--	815	0.012
--	--	--	799	0.080
--	--	--	800	0.004
--	--	--	795	0.010
--	--	--	796	0.158
--	--	--	770	0.004
--	--	--	693	0.128
--	--	--	694	0.206
--	--	--	695	0.130
--	--	--	698	0.081
--	--	--	699	0.057
--	--	--	701/1, 701/2, 701/3, 701/4/1, 701/4/2	0.091
--	--	--	700	0.041
--	--	--	702/1, 702/2	0.047
--	--	--	703/2	0.155
--	--	--	703/935	0.035
--	--	--	708/1, 708/2	0.139
--	--	--	711	0.103
--	--	--	706	0.065
--	--	--	712	0.004
--	--	--	218	0.296
--	--	--	209	0.004
--	--	--	216/1, 216/2	0.045
--	--	--	217	0.077
--	--	--	215/1, 215/2	0.019

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	226	0.045
--	--	--	227/1, 227/2	0.030
--	--	--	232	0.178
--	--	--	231	0.050
--	--	--	233	0.005
--	--	--	238	0.015
--	--	--	239	0.202
--	--	--	240	0.004
--	--	--	244/1, 244/2/1/k, 244/2/1/kh	0.251
--	--	--	245	0.004
--	--	--	246	0.016
--	--	--	248	0.074
--	--	--	252	0.004
--	--	--	253	0.052
--	--	--	254	0.049
--	--	--	255	0.197
--	--	--	257	0.004
--	--	--	269/2k, 269/2kh, 269/3, 269/4	0.036
--	--	--	258	0.005
--	--	--	268	0.004
--	--	--	267	0.048
--	--	--	266	0.052
--	--	--	265	0.014
--	--	--	272	0.109
--	--	--	281	0.004
--	--	--	273	0.004
--	--	--	278	0.038
--	--	--	306	0.064
--	--	--	960/1, 960/2	0.302
--	--	--	956	0.177
--	--	--	881	0.241
--	--	--	882/1, 882/2	0.183
--	--	--	908	0.101
--	--	--	905	0.068
--	--	--	909/1, 909/2, 909/3	0.027
--	--	--	884	0.051
--	--	--	883	0.093
--	--	--	886	0.019
--	--	--	888/2	0.035
--	--	--	901	0.058

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	318	0.118
"	"	"	297	0.078
"	"	"	298	0.082
"	"	"	300	0.088
"	"	"	296	0.024
"	"	"	301	0.072
"	"	"	302	0.144
"	"	"	309	0.052
"	"	"	286	0.027
"	"	"	287	0.040
"	"	"	285	0.041
"	"	"	283	0.103
"	"	"	282	0.013
"	"	"	284	0.019
"	"	"	280	0.026
"	"	"	305	0.050
"	"	"	307	0.062
"	"	"	329	0.074
"	"	"	330	0.025
"	"	"	338	0.084
"	"	"	337	0.074
"	"	"	339	0.004
"	"	"	356	0.050
"	"	"	357	0.013
"	"	"	358	0.005
"	"	"	355	0.014
"	"	"	364	0.051
"	"	"	362	0.006
"	"	"	363	0.094
"	"	"	374/1, 374/2	0.012
"	"	"	372	0.094
"	"	"	371	0.149
"	"	"	401/1, 401/2	0.064
"	"	"	403	0.011
"	"	"	402	0.029
"	"	"	399/1, 399/2, 399/3	0.089
"	"	"	398	0.017
"	"	"	442	0.102
"	"	"	444	0.010

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	443	0.077
--	--	--	448	0.081
--	--	--	460	0.106
--	--	--	461	0.191
--	--	--	462	0.004
--	--	--	463	0.030
--	--	--	538	0.036
--	--	--	646/2	0.059
--	--	--	670/1	0.087
--	--	--	677	0.008
--	--	--	676	0.097
--	--	--	675/1, 675/2/1, 675/2/2, 675/2/3, 675/2/4	0.100
--	--	--	686	0.045
--	--	--	687	0.004
--	--	--	689/1, 689/2	0.052
--	--	--	688	0.063
--	--	--	690/1, 690/2	0.088
--	--	--	696	0.028
--	--	--	782	0.264
--	--	--	827	0.030

क्रमांक 12/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम धुरवार, पटवारी हल्का 69-धुरवार तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	1107	0.035
--	--	--	1111	0.272
--	--	--	1112 / 1, 1112 / 2	0.004
--	--	--	1335	0.054
--	--	--	1334 / 1, 1334 / 2	0.178
--	--	--	1339 / 1, 1339 / 2	0.211
--	--	--	1338 / 1, 1338 / 2	0.149
--	--	--	1295	0.043
--	--	--	1194 / 1, 1194 / 2, 1194 / 3, 1194 / 4	0.060
--	--	--	1191	0.055
--	--	--	1193	0.06
--	--	--	1192	0.040

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	1093	0.005
--	--	--	1055	0.015
--	--	--	1056	0.024
--	--	--	1058	0.004
--	--	--	1057	0.204
--	--	--	1061	0.019
--	--	--	1064	0.004
--	--	--	1063 / 1, 1063 / 2	0.117
--	--	--	1062	0.136
--	--	--	1060	0.012
--	--	--	1068	0.024
--	--	--	1069 / 1, 1069 / 2, 1069 / 3, 1069 / 4, 1069 / 5, 1069 / 6	0.109
--	--	--	1079	0.015
--	--	--	1077	0.004
--	--	--	1078	0.196
--	--	--	1080	0.017
--	--	--	1104 / 1, 1104 / 3	0.008
--	--	--	1102	0.120
--	--	--	1103	0.079
--	--	--	1100	0.012
--	--	--	1098 / 1, 1098 / 3, 1098 / 4	0.004
--	--	--	1105	0.004
--	--	--	1106 / 1, 1106 / 3, 1106 / 4	0.336
--	--	--	1126	0.043
--	--	--	1123	0.091
--	--	--	1122	0.117
--	--	--	1263	0.073
--	--	--	1262	0.018
--	--	--	1270	0.002
--	--	--	1269	0.012
--	--	--	1268	0.106
--	--	--	1164	0.005
--	--	--	1271 / 1, 1271 / 2	0.052
--	--	--	1267	0.004
--	--	--	1274 / 1, 1274 / 2	0.030
--	--	--	1273 / 1, 1273 / 2	0.188
--	--	--	1272 / 1, 1272 / 2	0.008

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	1280	0.113
--	--	--	1283	0.053
--	--	--	1284	0.004
--	--	--	1285	0.079
--	--	--	1340/1, 1340/2	0.095
--	--	--	1341	0.045
--	--	--	316/1, 316/2	0.047
--	--	--	319/1, 319/2/1, 319/2/2, 319/3, 319/4, 319/5	0.004
--	--	--	318/1, 318/2	0.004
--	--	--	317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6/1, 317/6/2	0.010
--	--	--	315/1, 315/2	0.004
--	--	--	312/1, 312/2	0.091
--	--	--	311/1, 311/2	0.012
--	--	--	310/1, 310/2	0.004
--	--	--	323	0.125
--	--	--	324	0.004
--	--	--	321	0.006
--	--	--	325	0.028
--	--	--	326	0.020
--	--	--	333	0.010
--	--	--	327	0.004
--	--	--	332	0.040
--	--	--	331	0.019
--	--	--	335/1, 335/2, 335/3	0.228
--	--	--	356	0.084
--	--	--	357	0.013
--	--	--	355	0.079
--	--	--	354	0.047
--	--	--	347	0.004
--	--	--	348	0.046
--	--	--	349	0.057
--	--	--	350	0.004
--	--	--	352	0.032
--	--	--	351	0.007
--	--	--	373/1, 373/2, 373/3, 373/4	0.088
--	--	--	374	0.018
--	--	--	372/1, 372/2, 372/3	0.016
--	--	--	371	0.004

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	375/1, 375/2	0.127
--	--	--	376/1/1, 376/1/2, 376/1/3, 376/1/4, 376/2	0.067
--	--	--	377/1, 377/2	0.111
--	--	--	503	0.061
--	--	--	505	0.010
--	--	--	504	0.056
--	--	--	508/1, 508/2	0.014
--	--	--	509	0.056
--	--	--	510	0.053
--	--	--	512	0.125
--	--	--	511	0.058
--	--	--	551/1, 551/2	0.025
--	--	--	550	0.068
--	--	--	549	0.004
--	--	--	552	0.019
--	--	--	548	0.067
--	--	--	545	0.027
--	--	--	546	0.067
--	--	--	547	0.071
--	--	--	599/1/1, 599/1/2, 599/1/3, 599/2/1, 599/2/2, 599/2/3	0.104
--	--	--	598/1, 598/2, 598/3	0.102
--	--	--	597/1, 597/2/1, 597/2/2, 597/2/3, 597/2/4	0.044
--	--	--	601/1/1, 601/1/2, 601/2, 601/3	0.135
--	--	--	603/1, 603/2	0.022
--	--	--	604/1/1, 604/1/2, 604/2, 604/3	0.149
--	--	--	605	0.139
--	--	--	609/1/1, 609/1/2, 609/2, 609/3, 609/4	0.040
--	--	--	606/1, 606/2/1, 606/2/2	0.094
--	--	--	607	0.050
--	--	--	415	0.115
--	--	--	413	0.020
--	--	--	412	0.010
--	--	--	456	0.010
--	--	--	389	0.215
--	--	--	339	0.140
शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	338/1/1, 338/1/2, 338/1/3, 338/1/4, 338/1/5	0.180
--	--	--	334/1, 334/2	0.010
--	--	--	337	0.020
--	--	--	336	0.040
--	--	--	340/1, 340/2, 340/3	0.050
--	--	--	513	0.085

क्रमांक 09/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का 67-कंचनपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	2213	0.040
—	—	—	2150/1, 2150/2, 2150/3	0.136
—	—	—	2149/1, 2149/2	0.463
—	—	—	2136	0.098
—	—	—	2129	0.253
—	—	—	2132	0.027
—	—	—	2133	0.138
—	—	—	2118	0.184
—	—	—	2117	0.104
—	—	—	2116	0.113
—	—	—	2078	0.012
—	—	—	2089/1, 2089/2	0.227
—	—	—	2088	0.095
—	—	—	2090	0.017

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	2091/1, 2091/2	0.010
--	--	--	2095	0.069
--	--	--	2099	0.045
--	--	--	2094/1	0.063
--	--	--	2094/2	0.051
--	--	--	2100	0.010
--	--	--	2037/1, 2037/2	0.010
--	--	--	2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4	0.132
--	--	--	2031/1, 2031/2, 2031/3	0.112
--	--	--	2032	0.004
--	--	--	2030	0.049
--	--	--	2029/1, 2029/2/क, 2029/2/ख	0.066
--	--	--	2028	0.035
--	--	--	1075	0.010
--	--	--	2027/1, 2027/2/1, 2027/2/2	0.104
--	--	--	2026	0.022
--	--	--	2025	0.007
--	--	--	2024	0.036
--	--	--	1085	0.016
--	--	--	1086	0.070
--	--	--	2018/1/क, 2018/1/ख, 2018/2	0.010
--	--	--	1119	0.024
--	--	--	1123	0.119
--	--	--	1122/1, 1122/2	0.016
--	--	--	1125/1/क, 1125/1/ख, 1125/2	0.100
--	--	--	1124	0.211
--	--	--	1136/1, 1136/2	0.021
--	--	--	1137/1, 1137/2, 1137/3	0.153
--	--	--	1138/1, 1138/2/क, 1138/2/ख	0.310
--	--	--	1194	0.228
--	--	--	1240	0.177
--	--	--	1241	0.010
--	--	--	1242	0.010
--	--	--	1243	0.028
--	--	--	1265	0.083
--	--	--	1264	0.015
--	--	--	1263/1/क, 1263/1/ख, 1263/1/ग, 1263/2	0.130
--	--	--	1248	0.010
--	--	--	1251	0.094
--	--	--	1250	0.010

शहडोल	सोहागपुर	कचनपुर/67	1249	0.010
--	--	--	1253	0.046
--	--	--	1254/1, 1254/2	0.042
--	--	--	1695/1, 1695/2, 1695/3, 1695/4, 1695/5	0.034
--	--	--	1694/1, 1694/2/क, 1694/2/ख, 1694/2/ग, 1694/2/घ, 1694/2/ङ.	0.100
--	--	--	1693/1, 1693/2	0.011
--	--	--	1698	0.004
--	--	--	1692/1, 1692/2/क, 1692/2/ख, 1692/2/ग	0.095
--	--	--	1699/1, 1699/2	0.106
--	--	--	1704/1, 1704/2	0.093
--	--	--	1703	0.015
--	--	--	1705	0.059
--	--	--	1708	0.010
--	--	--	1706/1, 1706/2	0.130
--	--	--	1707	0.020
--	--	--	1712	0.036
--	--	--	1711/1, 1711/2/क, 1711/2/ख	0.191
--	--	--	1719	0.004
--	--	--	1720/1, 1720/2, 1720/3	0.012
--	--	--	1722	0.010
--	--	--	1726/1, 1726/2	0.306
--	--	--	1728	0.020
--	--	--	1729/1, 1729/2, 1729/3, 1729/4, 1729/5, 1729/6, 1729/7, 1729/8	0.375
--	--	--	1651/1, 1651/2	0.014
--	--	--	1648	0.203
--	--	--	1647	0.062
--	--	--	1646	0.118
--	--	--	1645	0.020
--	--	--	1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/4	0.110
--	--	--	1644	0.022
--	--	--	1643	0.173
--	--	--	1636	0.022
--	--	--	1634/1, 1634/2	0.089
--	--	--	1633/1, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1633/5	0.070

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	1632/1, 1632/2/1, 1632/2/2, 1632/3	0.082
--	--	--	1630	0.038
--	--	--	1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4	0.129
--	--	--	1605	0.041
--	--	--	1606/1, 1606/2	0.015
--	--	--	1607/1, 1607/2	0.023
--	--	--	1612	0.010
--	--	--	1611	0.043
--	--	--	1610	0.073
--	--	--	1618	0.052
--	--	--	1591	0.045
--	--	--	1592	0.004
--	--	--	1588	0.082
--	--	--	1589	0.010
--	--	--	1585	0.021
--	--	--	1567	0.117
--	--	--	1566/1, 1566/2/क, 1566/2/ख	0.250
--	--	--	1565/1, 1565/2	0.109
--	--	--	1564/1, 1564/2	0.028
--	--	--	890	0.010
--	--	--	894/1/क/1, 894/1/क/2, 894/1/क/3, 894/1/क/4, 894/1/ख, 894/2, 894/3, 894/4, 894/5, 894/6	0.109
--	--	--	888/1, 888/2	0.033
--	--	--	886/1, 886/2	0.011
--	--	--	889/1, 889/2/1, 889/2/2, 889/2/3, 889/3, 889/4	0.164
--	--	--	855/1, 855/2	0.022
--	--	--	413	0.091
--	--	--	411	0.073
--	--	--	412	0.028
--	--	--	410/1, 410/2	0.182
--	--	--	405/1, 405/2	0.037
--	--	--	403/1/क, 403/1/ख, 403/1/ग, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5	0.089
--	--	--	404	0.116
--	--	--	402	0.010
--	--	--	399	0.097

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	401/1, 401/2, 401/3	0.092
--	--	--	389/1, 389/2	0.050
--	--	--	393	0.184
--	--	--	394	0.176
--	--	--	2312/1, 2312/2	0.099
--	--	--	381	0.089
--	--	--	392/1, 392/2	0.240
--	--	--	391	0.125
--	--	--	390	0.124
--	--	--	385	0.127
--	--	--	386	0.010
--	--	--	447/1, 447/2, 447/3	0.172
--	--	--	437	0.055
--	--	--	436/1, 436/2	0.132
--	--	--	435	0.089
--	--	--	455	0.023
--	--	--	456/1, 456/2, 456/3, 456/4	0.019
--	--	--	465/1, 465/2	0.134
--	--	--	466/1/क, 466/1/ख, 466/2, 466/3, 466/4	0.004
--	--	--	464	0.211
--	--	--	463	0.083
--	--	--	474	0.010
--	--	--	475	0.183
--	--	--	477/1, 477/2, 477/3	0.156
--	--	--	493/1/क, 493/1/ख, 493/2, 493/3	0.213
--	--	--	492	0.010
--	--	--	497	0.049
--	--	--	500	0.168
--	--	--	499	0.010
--	--	--	501/1, 501/2	0.041
--	--	--	502	0.153
--	--	--	325/1, 325/2, 325/3/क, 325/3/ख	0.014
--	--	--	2303/1, 2303/2, 2303/3	0.024
--	--	--	205	0.081
--	--	--	210	0.041
--	--	--	206	0.146
--	--	--	213/1, 213/2, 213/3, 213/4	0.219
--	--	--	214/1, 214/2	0.079
--	--	--	218/1/क, 218/1/ख, 218/2	0.236

शहडोल	सीहागपुर	कंचनपुर/67	92	0.157
--	--	--	91	0.096
--	--	--	98/1, 98/2/क, 98/2/ख, 98/2/ग, 98/3	0.074
--	--	--	83	0.051
--	--	--	99	0.129
--	--	--	82	0.051
--	--	--	104	0.064
--	--	--	106	0.152
--	--	--	107	0.188
--	--	--	108	0.105
--	--	--	109	0.078
--	--	--	70/1, 70/2	0.017
--	--	--	63/1/क, 63/1/ख, 63/1/ग, 63/2, 63/3, 63/4	0.644
--	--	--	50	0.111
--	--	--	51	0.123
--	--	--	52	0.157
--	--	--	54	0.054
--	--	--	55	0.182
--	--	--	53	0.082
--	--	--	48/1, 48/2/क, 48/2/ख, 48/2/ग, 48/3	0.029
--	--	--	16/1, 16/2	0.061
--	--	--	33/1, 33/2/क, 33/2/ख, 33/2/ग, 33/3	0.123
--	--	--	22	0.068
--	--	--	23	0.089
--	--	--	31/1, 31/2, 31/3	0.017
--	--	--	24	0.036
--	--	--	25	0.045
--	--	--	28/1, 28/2	0.213
--	--	--	26/1, 26/2	0.010
--	--	--	27	0.047
--	--	--	29	0.043
--	--	--	290	0.027
--	--	--	302/1, 302/2	0.365
--	--	--	304/1, 304/2, 304/3, 304/4	0.004
--	--	--	305/1, 305/2	0.136
--	--	--	308	0.019
--	--	--	312/1, 312/2	0.085
--	--	--	313/1, 313/2, 313/3, 313/4	0.086

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	346/1/1, 346/1/2, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9	0.431
--	--	--	349/1, 349/2	0.205
--	--	--	348/1/क, 348/1/ख/1, 348/1/ख/2, 348/2, 348/3	0.069
--	--	--	359/1, 359/2, 359/3, 359/4	0.039
--	--	--	360/2, 360/3, 360/4/क/1, 360/4/क/2, 360/5	0.327
--	--	--	287	0.248
--	--	--	286/1/क, 286/1/ख/1, 286/1/ख/2, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5	0.152
--	--	--	263	0.031
--	--	--	265/1, 265/2, 265/3	0.121
--	--	--	264	0.004
--	--	--	266/1, 266/2, 266/3/क, 266/3/ख, 266/3/ग, 266/3/घ, 266/4/1, 266/4/2	0.395
--	--	--	261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6	0.004
--	--	--	255	0.203
--	--	--	253/2306	0.010
--	--	--	254	0.194
--	--	--	37/1/क, 37/1/ख, 37/2, 37/3	0.024
--	--	--	38/1, 38/2	0.044
--	--	--	45	0.056
--	--	--	46/1/क, 46/1/ख, 46/2	0.343
--	--	--	49	0.170
--	--	--	13	0.067
--	--	--	54/2301/1, 54/2301/2, 54/2301/3	0.010
--	--	--	1238/1, 1238/2	0.051
--	--	--	1239	0.010
--	--	--	1237	0.028
--	--	--	1195/1, 1195/2	0.097
--	--	--	1196	0.032
--	--	--	1197/1, 1197/2	0.066
--	--	--	1223	0.144
--	--	--	1222/1, 1222/2/क, 1222/2/ख	0.142

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	1221/1/क/1, 1221/1/क/2, 1221/1/ख, 1221/2	0.116
--	--	--	12	0.111
--	--	--	8	0.142
--	--	--	3	0.416
--	--	--	4/1, 4/2	0.010
--	--	--	5/1, 5/2	0.032
--	--	--	1375	0.115
--	--	--	1376/1/क, 1376/1/ख, 1376/1/ग, 1376/2	0.058
--	--	--	1377/1, 1377/2	0.056
--	--	--	1378/1, 1378/2/1, 1378/2/2	0.055
--	--	--	1379/1, 1379/2, 1379/3	0.056
--	--	--	1380/1, 1380/2	0.049
--	--	--	1381	0.046
--	--	--	1393/1, 1393/2	0.071
--	--	--	1392	0.058
--	--	--	1391/1, 1391/2	0.071
--	--	--	1388/1, 1388/2	0.022
--	--	--	1390	0.012
--	--	--	1389/1, 1389/2, 1389/3, 1389/4, 1389/5, 1389/6	0.028
--	--	--	192/1, 192/2	0.077
--	--	--	193/1, 193/2, 193/3, 193/4	0.111
--	--	--	96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6	0.004
--	--	--	191	0.014
--	--	--	97/1, 97/2, 97/3	0.139
--	--	--	101	0.024
--	--	--	100	0.006
--	--	--	292	0.056
--	--	--	294	0.152
--	--	--	301	0.072
--	--	--	467	0.065
--	--	--	466/1 क, 466/1 ख, 466/2, 466/3, 466/4	0.010
--	--	--	470/1, 470/2	0.010

प्ररूप-घ

[नियम 6 देखिए]

शहडोल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्रमांक 08/बी-121/2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नंदना, पटवारी हल्का 62-हरदी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	1	0.106
—	—	—	57	0.137
—	—	—	55/1, 55/2	0.016
—	—	—	56	0.113
—	—	—	53	0.108
—	—	—	44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6/1, 44/6/2	0.095
—	—	—	48	0.050
—	—	—	50/1, 50/2	0.238
—	—	—	49	0.022
—	—	—	62/1, 62/2/क, 62/2/ख, 62/3	0.247
—	—	—	64	0.085

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	386/1, 386/2	0.252
—	—	—	388	0.244
—	—	—	387/1, 387/2	0.061
—	—	—	392	0.094
—	—	—	394	0.016
—	—	—	370/1, 370/2	0.120
—	—	—	421	0.117
—	—	—	420	0.182
—	—	—	419	0.135
—	—	—	409	0.004
—	—	—	410/1, 410/2	0.223
—	—	—	408	0.102
—	—	—	418/1, 418/2	0.004
—	—	—	415	0.014
—	—	—	411	0.056
—	—	—	429	0.045
—	—	—	407/1, 407/2	0.004
—	—	—	430	0.057
—	—	—	433	0.075
—	—	—	435	0.043
—	—	—	437/1/1, 437/1/2, 437/2	0.150
—	—	—	450	0.139
—	—	—	454	0.074
—	—	—	453/1, 453/2	0.102
—	—	—	456	0.176
—	—	—	457	0.004
—	—	—	465	0.089
—	—	—	464	0.077
—	—	—	463	0.088
—	—	—	503	0.004
—	—	—	518	0.046
—	—	—	517	0.107
—	—	—	516	0.004
—	—	—	519	0.069
—	—	—	520/1, 520/2	0.394
—	—	—	521	0.046
—	—	—	1	0.021
—	—	—	59/1, 59/2, 59/3	0.245
—	—	—	52/1, 52/2	0.010
—	—	—	51/1, 51/2, 51/3	0.139

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	50/1, 50/2	0.038
--	--	--	127	0.023
--	--	--	126	0.096
--	--	--	128	0.091
--	--	--	129	0.080
--	--	--	114	0.011
--	--	--	22	0.004
--	--	--	113	0.177
--	--	--	112	0.004
--	--	--	26	0.049
--	--	--	111	0.057
--	--	--	27	0.013
--	--	--	28	0.004
--	--	--	110	0.054
--	--	--	102	0.184
--	--	--	103	0.219
--	--	--	101/1/क, 101/1/ख, 101/1/ग, 101/1/घ, 101/1/डं, 101/2	0.175
--	--	--	46	0.040
--	--	--	104/1/क, 104/1/ख, 104/1/ग, 104/1/घ, 104/1/डं, 104/2	0.004
--	--	--	49	0.020
--	--	--	48	0.014
--	--	--	1	0.022
--	--	--	238/1/क, 238/1/ख, 238/2	0.196
--	--	--	4/1, 4/2	0.093
--	--	--	5	0.115
--	--	--	7	0.069
--	--	--	8	0.047
--	--	--	9	0.031
--	--	--	10/1, 10/2, 10/3	0.406
--	--	--	19	0.133
--	--	--	20	0.019
--	--	--	114	0.046
--	--	--	21	0.026
--	--	--	22	0.018
--	--	--	274	0.083
--	--	--	273	0.053
--	--	--	272	0.018
--	--	--	269/1, 269/2, 269/3	0.412

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	267/1/1, 267/1/2, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 267/6	0.354
--	--	--	266	0.061
--	--	--	262/537	0.146
--	--	--	262/538	0.089
--	--	--	258	0.037
--	--	--	257	0.087
--	--	--	256	0.010
--	--	--	228	0.316
--	--	--	227	0.004
--	--	--	15	0.049
--	--	--	16	0.010
--	--	--	117	0.087
--	--	--	119	0.004
--	--	--	116/1, 116/2	0.091
--	--	--	118	0.020
--	--	--	124	0.043
--	--	--	125	0.036
--	--	--	306/1, 306/2	0.022
--	--	--	307	0.060
--	--	--	311	0.025
--	--	--	308	0.063
--	--	--	310	0.105
--	--	--	325	0.010
--	--	--	324/1, 324/2/क, 324/2/ख, 324/3/ग, 324/3/घ	0.290
--	--	--	323/1, 323/2, 323/3	0.005
--	--	--	326	0.023
--	--	--	328	0.129
--	--	--	327	0.004
--	--	--	329/1, 329/2, 329/3, 329/4	0.280
--	--	--	332/1, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5	0.004
--	--	--	333/1, 333/2, 333/3, 333/4	0.270
--	--	--	375	0.139
--	--	--	374	0.037
--	--	--	376	0.094
--	--	--	373/1, 373/2	0.072
--	--	--	372	0.020
--	--	--	391/1, 391/2/क, 391/2/ख	0.068
--	--	--	371	0.163

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	370/1, 370/2	0.088
--	--	--	468	0.037
--	--	--	397	0.455
--	--	--	387/1, 387/2	0.114
--	--	--	393	0.169
--	--	--	388	0.056
--	--	--	394	0.010
--	--	--	392	0.053
--	--	--	344	0.068
--	--	--	354/1, 354/2, 354/3	0.178
--	--	--	356/1, 356/2	0.381
--	--	--	357/1/1, 357/1/2, 357/2/1, 357/2/2	0.063
--	--	--	363/1, 363/2	0.077
--	--	--	364	0.033
--	--	--	365/1, 365/2, 365/3, 365/4	0.074
--	--	--	423	0.055
--	--	--	369/1, 369/2	0.089
--	--	--	422	0.026
--	--	--	421	0.044
--	--	--	370/1, 370/2	0.189
--	--	--	468	0.010
--	--	--	475/1, 475/2	0.267
--	--	--	474	0.081
--	--	--	473	0.004
--	--	--	472	0.144
--	--	--	471	0.177
--	--	--	467/2, 467/3	0.354
--	--	--	469/1, 469/2, 469/3	0.048
--	--	--	452/1, 452/2	0.107
--	--	--	306/1, 306/2	0.010
--	--	--	304	0.136
--	--	--	305	0.184
--	--	--	306/1, 306/2	0.010

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एल. यादव, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 6 अगस्त 2015

क्र. 7785-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बडौल.	जुझारपुर ब.न. 212 प.ह.नं. 14.	7.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्र. 7831-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बडौल.	सागर. प.ह.नं. 03 ब.नं. 550.	17.20	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 7833-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बडौल.	बकोडी प.ह.नं. 14 ब.नं. 390.	3.80	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 मई 2016

क्र. भू-अर्जन 23-(अ-82) 2015-2016-1186.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही प.ह.नं. 10/62	369/1 370 391	0.13 0.06 0.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सरवाही जलाशय के नहर निर्माण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			399	0.18		
			398/1	0.11		
			398/2	0.07		
			योग . .	0.700		
		शासकीय भूमि	0.00	0.03		
		सकल योग . .		0.730		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. भू-अर्जन 1222-(अ-82) 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः, भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सारसडोली	452	0.61	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली लघु सिंचाई
		प.ह.नं. 22	453	0.41	जल संसाधन संभाग,	योजना के शीर्ष कार्य
		रा.नि.म.	454/1	0.36	डिण्डौरी.	निर्माण हेतु.
		कोहानी	454/2	0.36		
		देवरी	455	0.37		
			456	0.36		
			457	0.64		
			458	0.66		
			464	2.59		
			465	0.10		
			393	0.40		
			394	0.25		
			396	1.25		
			395/1	0.15		
			395/2	0.15		
			459	0.67		
			461/3	0.06		
			461/1	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			532	0.23		
			450	0.36		
			442	0.19		
			443/1	1.46		
			461/2	0.08		
			443/2	1.47		
			443/3	0.73		
			444	0.54		
			445	1.24		
			534	0.33		
			446/1	0.09		
			448/1	0.53		
			446/2	0.09		
			448/2	0.53		
			446/3	0.09		
			448/3	0.52		
			449	1.63		
			517	0.20		
			518	0.40		
			520	0.59		
			523	0.21		
			525	0.57		
			528	1.24		
			526	0.23		
			527	1.20		
			490	0.58		
			योग . .	<u>24.78</u>		
	शासकीय भूमि		451	0.64		
			462	0.03		
			441	0.40		
			447	0.08		
			519	0.07		
			521	0.20		
			522	3.05		
			524	0.20		
			516	3.80		
			531	0.35		
			533	0.11		
			योग . .	<u>8.93</u>		
			सकल योग . .	<u>33.710</u>		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 14 जून 2016

प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	अगोरा नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).	0.78	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया म. प्र.	दतिया जिले के अन्तर्गत खराघाट सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 8 जुलाई 2016

प. क्र. 6420-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/ प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. केवलारी.	केवलारी प.ह.नं.-41.	0.03	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एम., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2016

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-भुम्मा, प.ह.नं.-21/10, ब.न.-296, रा.नि.म.-सौंसर तहसील-सौंसर.	अशोक पिता मेघराज माहेश्वरी निवासी-मोहगांव भूमिस्वामी.	118/3	0.150	मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

कुल योग . . . 0.150

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत मोहगांव जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-मुंगनापार	हरि पिता बाबूलाल ढोले, निवासी-भुम्मा ग्राम-भूमिस्वामी-मुंगनापार.	17/11	0.607	मोहगांव जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
		प.ह.नं.-24/11, ब.न.-316, रा.नि.म.-सौंसर तहसील-सौंसर.	2. नरतन पिता बाबूलाल ढोले निवासी-भुम्मा ग्राम-भूमिस्वामी-मुंगनापार.	17/12	0.607	
			3. रविन्द्र पिता बाबूलाल ढोले निवासी-भुम्मा ग्राम भूमि स्वामी-मुंगनापार.	17/13	0.607	
			4. लिलाराम, मोतीराम, भाउराव, देवराव, शांतिबाई पिता महादेव पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी-मुंगनापार.	24/1 25/2	0.609 0.127	
			5. ताराचंद पिता लक्ष्मण, पंकेज अ. पिता हेमराज पा. काका ताराचंद पवार निवासी-ग्राम भूमिस्वामी-मुंगनापार.	131/2	0.160	
कुल योग . .					02.717	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 07-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सावंगी, प.ह.नं.-26, ब.न.-386 रा.नि.म.-सौंसर तहसील-सौंसर.	मधुकर पिता सुखलाल खंडाते निवासी-ग्राम भूमि स्वामी. 2. सीताराम पिता तुकाराम निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	546/1 55/3	0.016 0.054	अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.070	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 08-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-छत्रापुर प.ह.नं.-27/12, ब.न.-140, रा.नि.म.-सौंसर तहसील-सौंसर.	जैवती वि. रोडया पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी. 2. गणेश, दन्तु पिता गणपति मु. लहानी वि. गणपति निवासी-पंधराखेडी भूमि स्वामी.	210/5 269/2	0.036 0.032	अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3. रमाबाई पिता धनराज पवार निवासी-पंधराखेडी भूमिस्वामी.	277/1	0.032	
कुल योग . .					0.100	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5575-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश दता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—सिहोरामाल, प.ह.नं. 40, ब. नं. 290, रा.नि.मं.-चौरई तहसील-चौरई.	रकबा 01.230 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माइनर-2 एल एवं 3 एल नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5576-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम—नीलकंठीकला, प.ह.नं. 48, ब. नं. 151, रा.नि.मं.-चौद, तहसील-चौद.	रकबा 12.518 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5577-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चाँद	ग्राम—निशान जानोजी प.ह.नं. 49, ब. नं. 150, रा.नि.मं.—चाँद, तहसील—चाँद.	रकबा 03.938 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5578-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम—धमनिया, प.ह.नं. 57, ब. नं. 281, रा.नि.मं.—छिन्दवाड़ा तहसील-छिन्दवाड़ा.	रकबा 0.563 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली मायनर खमरा माईनर-2 आर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5579-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चांद	(3) ग्राम—चांद, प.ह.नं. 24, ब. नं. 80, रा.नि.मं.—चांद तहसील—चांद.	(4) रकबा 07.585 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं मायनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5580-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अनुसूची		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चाँद	ग्राम—गुमगांव, प.ह.नं. 31, ब. नं. 64, रा.नि.मं.-चाँद, तहसील-चाँद.	रकबा 04.731 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5581-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चौद	(3) ग्राम—खापाबिहारी, प.ह.नं. 31, ब. नं. 44, रा.नि.मं.—चौद, तहसील—चौद.	(4) रकबा 03.739 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5582-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम—घोघरीहरहर, प.ह.नं. 33, ब. नं. 74, रा.नि.मं.-चौद तहसील-चौद.	रकबा 01.181 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5583-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चौद	(3) ग्राम—दिलावर मोहगांव, प.ह.न.-34, ब.न.-129, रा.नि.मं.-चौद, तहसील-चौद.	(4) रकबा 01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5584-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चौद	(3) ग्राम—बतरी, प.ह.नं. 33, ब. नं. 187, रा.नि.मं.—चौद तहसील—चौद.	(4) रकबा 03.945 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhinddwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्रि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5585-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अनुसूची			
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—बांकानागनपुर, प.ह.न.-85/22, ब.न.-125, रा.नि.म.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 08.011 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बांकानागनपुर माइनर एवं सबमाइनर एवं खुटिया-1 एल नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhinddwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5586-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम—खमरा, प.ह.न.-57, ब.न.-90, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1, तहसील-छिन्दवाड़ा.	रकबा 01.426 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धनमिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर खसरा माईनर-2 आर एवं 3 आर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhinddwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5587-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चौरई	(3) ग्राम—झिलमिली, प.ह.न.-39, ब.न.-110, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	(4) रकबा 02.994 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माइनर-2 एल एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5588-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चाँद	ग्राम—ढीमरमेटा, प.ह.न.-30, ब.न.-114, रा.नि.मं.-चाँद, तहसील-चाँद.	रकबा 06.310 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं मायनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5589-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम—गोहरगांव, प.ह.न.-31, ब.न.-68, रा.नि.मं.-चौद, तहसील-चौद.	रकबा 09.869 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5590-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम—नीलकंठीखुर्द, प.ह.न.-33, ब.न.-152, रा.नि.म.-चौद, तहसील-चौद.	रकबा 03.665 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5591-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम—चौलाझिर, प.ह.न.-32, ब.न.-146, रा.नि.मं.-चौद, तहसील-चौद.	रकबा 03.690 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5592-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चाँद	ग्राम—बम्हनीतुरा, प.ह.न.-32, ब.न.-112, रा.नि.मं.-चाँद, तहसील-चाँद.	रकबा 05.055 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5593-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम—मुडियाखेड़ा, प.ह.न.-32, ब.न.-230, रा.नि.मं.-चौद, तहसील-चौद.	रकबा 04.501 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 12 जुलाई 2016

[मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012]

क्र. 3724-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव, राज्य सरकार को ग्राम जामली, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हित रखता है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	जामली/25	14	0.045
			18	0.016
			16	0.193
			17	0.019
			51	0.016
			52	0.072
			144	0.031
			142/1	0.004

कुल योग . . . 0.396

अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	182	0.490	0.070	
	183	0.380	0.140	
	164	1.460	0.020	
	147	1.280	0.020	
			योग . .	2.950

प्र. क्र. 22-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—मानपुरा
(घ) क्षेत्रफल—2.950 हेक्टेयर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण
हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	158	1.370	0.410	
	163	0.620	0.180	
	80	0.710	0.010	
	88	0.650	0.130	
	157	1.940	0.340	
	160	1.120	0.090	
	161	0.960	0.390	
	162	0.450	0.190	
	184	0.180	0.050	
	89	0.630	0.350	
	91	0.080	0.020	
	92	0.360	0.140	
	93	0.310	0.160	
	95	0.730	0.220	
	90	0.490	0.020	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 मई 2016

क्र. भू-अर्जन-21(अ-82)2015-2016-1187.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कठौतिया, प.ह.नं. 88
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
210	0.03
211	0.10
458	0.10
469/3	0.12

(1)	(2)
798	0.03
965	0.10
975/1	0.05
980	0.10
460	0.13
414	0.80

शासकीय भूमि 866	योग . . . 1.560
स्कल योग . . .	0.140
	<u>1.700</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-22(अ-82)2015-2016-1188.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—भौंडासाज प. ह. नं. 112
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.660 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40	0.70
17	0.04
360	0.47
93	0.37
116	0.20
279/1	0.88
	योग . . . 2.660
शासकीय भूमि	0.00
स्कल योग . . .	<u>2.660</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 9 जून 2016

क्र. 1-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. नजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—बड़ौनी
(ग) ग्राम—मड़गवां
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
816/1	0.05
815/1	0.13
	योग : 0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 238-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—कोलाड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.59 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	1.037
22/1	0.296
22/3	0.543
25/1	0.165
43	0.283
25/2	0.142
26	0.435
27	0.052
37/2क	0.227
37/2घ	0.028
37/2ङ	0.028
37/2च	0.028
37/2ख	0.028
37/2ग	0.028
46/1अ	0.141
46/1द	0.181
46/1स	0.083
45	0.008
46/2	0.300
44	0.024
112/2	0.775
111	0.179
109	0.035
110	0.900
222	0.210
124/1क	0.248
124/1ख	0.028

(1)	(2)
124/1ग	0.028
124/1घ	0.028
124/1ङ	0.028
125/3/2	0.284
126/3/2	0.016
217/2	0.250
215/1	0.017
216	0.073
194	0.555
195	0.022
200	0.002
196/1	0.212
209	0.032
210	0.08
198	0.039
199/1क	0.07
206	0.345
250/1	0.077
योग . .	8.59

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 जून 2016

पत्र क्र. 1704-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—कुसमैदा नानकार 73
(घ) क्षेत्रफल—0.228 हेक्टेयर.

(ग) नगर/ग्राम—भेलसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.234 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)		
(अ) निजी पट्टे की भूमि				
245/1, 245/2	0.072	-	751/1	0.370
247	0.051	-	750	0.146
249	0.105	-	745/1	0.255
	योग . . .	<u>0.228</u>	745/2	0.015
(ब) शासकीय भूमि	-	<u>निरंक</u>	743/2	0.170
	महायोग . . .	<u>0.228</u>	742	0.010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			865	0.285
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			733	0.005
			734	0.002
			866	0.065
			729	0.021
			728/1	0.103
			728/2	0.125
			867	0.190
			868	0.045
			870/1	0.085
			870/2	0.125
			387/1	0.002
			428	0.158
			730	0.019
			731	0.010
			732	0.005
			390/1	0.008
			390/2	0.015
			391	0.140
			393	0.048
			394/1	0.005
			394/2	0.085
			384/2	0.015
			384/3	0.010
			383	0.097
			396	0.005
			397	0.045
			382/1	0.020
			382/2	0.105
			226	0.025
			225	0.105
			227	0.060
			224	0.092
			219	0.045

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)

(ख) तहसील—छतरपुर

(1)	(2)	(1)	(2)
239	0.170	658/2	0.260
240	0.163	659/1	0.199
208	0.024	659/2	0.147
207/1/4	0.130	669	0.231
207/1/क	0.005	676/1	0.024
207/2/क	0.085	676/2	0.042
183/1	0.320	676/3/1	0.030
184	0.025	676/3/2	0.034
200	0.050	676/4	0.038
198/1/क	0.060	583	0.254
198/2/ख	0.077	582	0.017
198/2/ग	0.024	578	0.060
199/1	0.005	577	0.031
199/2	0.045	576	0.227
199/3	0.005	575	0.112
199/4	0.015	122	0.125
187/1	0.030	121/2	0.010
182/2	0.030	121/3	0.010
188/1	0.057	120	0.140
188/2	0.154	119	0.180
186	0.022	118/1	0.005
144	0.020	23	0.080
143	0.098	20/1	0.090
140/क	0.170	20/2	0.140
140/ख	0.140	22	0.225
141	0.034	योग . . .	10.234
135/1/क	0.250	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम	
132	0.230	परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.	
133	0.380	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन	
129	0.160	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय	
127/2	0.004	में किया जा सकता है.	
189/1/ख	0.060	प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन	
189/2/5	0.025	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
124/1	0.090	(2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लिखित भूमि की	
124/2	0.209	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
124/3	0.370	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
726/1	0.162	अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के	
723	0.080	अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक	
716	0.054	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
715	0.062	अनुसूची	
653/1/ख	0.038	(1) भूमि का वर्णन—	
654	0.050	(क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)	
651	0.139	(ख) तहसील—छतरपुर	
656	0.032		
657	0.034		

- (ग) नगर/ग्राम—हिलगुंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.254 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
749	0.371
738	0.012
739	0.147
736	0.005
735	0.155
732	0.005
720	0.166
719/1	0.034
719/2	0.068
719/3	0.020
719/4	0.023
718/1	0.040
718/2	0.028
718/3	0.013
718/4	0.017
691/1	0.073
691/2	0.037
690/1	0.024
690/2	0.172
502/क/2	0.135
502/ख	0.015
492	0.050
493	0.149
494	0.135
498	0.190
499	0.155
359/1	0.015
योग . . .	<u>2.254</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—पहाडगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.857 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2604	0.066
2602	0.045
2182	0.160
2183	0.065
2184/2	0.010
2181	0.090
2164	0.015
2180	0.235
2166	0.025
3658/2109	0.145
2179	0.010
2177	0.045
2176	0.010
2172	0.045
2171	0.025
2175	0.010
2174	0.060
2225	0.225
2223	0.010
2235	0.110
2237	0.057
2233	0.035
2232	0.010
2239/2	0.105
2238	0.155
2124	0.010
2122	0.140
2123	0.010
2119	0.190
2125	0.015
2118	0.015
2116/1	0.035

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

(1)	(2)	(1)	(2)
2117/1	0.152	987/1	0.090
2117/2	0.153	987/2	0.090
2115	0.015	493	0.125
818	0.010	492	0.145
817	0.115	485	0.150
815	0.057	486	0.235
819	0.015	482	0.125
814	0.140	478	0.040
813	0.129	479	0.175
812	0.105	470	0.185
822	0.025	471	0.060
823	0.195	476	0.090
825	0.015	475	0.052
828/1	0.160	1079	0.105
826/2/1	0.005	1080	0.345
827/2	0.140	1155	0.320
842	0.105	1154	0.265
843/1	0.048	1153	0.035
843/2	0.015	1163/1	0.300
839	0.025	1163/2	0.160
855	0.145	1164	0.385
858	0.025	1165	0.325
859	0.130	1166	0.255
860	0.075	1177	0.660
863	0.030	1175	0.055
864	0.135	1176/1	0.157
873	0.010	1176/2	0.158
887	0.040	1256	0.050
886	0.125	1257	0.360
875	0.090	1258	0.150
878	0.075	1259	0.075
877	0.070	1262	0.230
929	0.080	1261	0.090
519	0.025	1264	0.130
518	0.045	1266/1	0.160
516	0.055	1266/2	0.015
520/1	0.015		
515	0.105		
514	0.105		
983	0.135		
981	0.020		
986	0.129		
985	0.014		
988	0.025		
		योग . .	<u>11.857</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.